5368

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

OA No. 127 /2024

In the matter of

Naathu ram Chauhan Applicant

Versus

Ministry of Road Transport and Highways & Ors Respondents

INDEX

S.No.	**Particulars**	Page no.
1.	Rejoinder on behalf of Applicant along with Affidavit	1-16
2.	**ANNEXURE A/1 (colly)** Representations sent to the Administration by the affected persons and reports by the administration.	17-101

FILED BY: -

Place: New Delhi
Dated: 23.07.2025

(RAHUL KHURANA) (HASIL JAIN)
Advocate for Applicant
A-174 A, Defence Colony,
New Delhi-110024
rkhuranalegal@gmail.com
M: 9811894060

5369

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

OA No. 127 /2024

In the matter of

Naathu ram Chauhan Applicant

Versus

Ministry of Road Transport and Highways & Ors Respondents

REJOINDER ON BEHALF OF APPLICANT

Most Respectfully Showeth:

1. That the Present OA has been filed aggrieved by the illegal dumping of hill cut material in to the valley by the construction companies undertaking the expansion of the single lane **Paonta Sahib- Guma section** at **National Highway no. 707** in the State of Himachal Pradesh falling in District Sirmaur and Shimla.

2. That the Joint Committee has filed its Final Report wherein it has clearly observed that:-

   i) Page 2049 - It is true that many of these streams were found to be obstructed with debris and sediments, leading to damage to the Kuhls and consequently disrupting water supply to the villages (Photographs attached as Annexure-7).

   ii) Page 2055- The report provided by Jal Shakti Vibhag vide Letter no. JSV-DS-DB-Misc-/2024-25-1095-98, dated 14.06.2024 (Annexure-27) has indicated damage to hand pumps, water distribution lines and associated infrastructure at 58 locations. The cost of repair for these components as estimated by Rs. 22260000/-

   iii) Page 2058- The reports received from the concerned SDMs and BDOs for 30 locations indicate damage to natural water resources (Kuhl), agricultural land, trees on private land and both public and private property.

iv) Page 2062- ***Many natural streams were found obstructed by debris and sediment, which damaged the flexible pipes and disrupted the water supply to the villages***. This issue should have been addressed in the Social Impact Assessment conducted by MoRTH prior to the highway construction***.***

It is submitted that on the other hand the Project consultant, Authority Engineer for supervision of all construction Packages (Respondent no. 11) claims in its reply at page no. 4309 that "there is no evidence of damage of natural springs or changing of river path and the river streams are carefully taken care of by the EPC contractors during the road construction.

3. That further the said respondent claims at page no. 4309 that "to assess the impacts on Environment an Environment Impact Assessment has been conducted by Consultant Jaipur of MORTH."

It is submitted that the claim of conducting the EIA has not been averred by the MORTH in its reply. Further no such EIA is available on record as claimed by Respondent no.11.

It is further submitted that environment impact as well as the social impact and damage to adjoining property outside the NH ROW occurred/likely to occur due to delay or not providing drains…….slope protection measures on excavated slopes, was also part of the scope of the work. (Page 1067, 1071, 1075 of MORTH REPLY PART-2)

4. Further as per the Joint Committee report ***Regarding the issue of illegal muck dumping-***

> ***"****The District Disaster Management Authority (DDMA) has provided the same report as provided earlier by the MoRTH and the Joint Committee was informed that "****the reporting to DDMA is purely for information purpose and it is not the mandate of DDMA to verify such information whether it is due to natural landslides or negligence of MoRTH/contractors." As a result, the Joint Committee could not draw any conclusions from the information provided by DDMA."***

5. With respect to the above observation by the Joint Committee the Applicant wants to submit the following:

SLOPE PROTECTION ON BOTH SIDES (Hill Side + Valley Side) - RESPONSIBILITY OF CONTRACTORS

6. That as per the observations of Joint Committee itself at page 2065-

   "Morth documents indicate that protection against hill failures on both the hill side and valley side falls within the scope of the contractors involved in the road construction."

   That in contrast to this all the private construction companies including the consultant R-11 has attributed the muck falling in the valley upon the heavy rainfall and landslides.

7. In this regard it is submitted that Construction companies of all 5 packages has failed to adopt slop protection measures both at the hill cut across the entire length of project and also at the dumping ground (authorised and unauthorised) and this deliberate and sheer negligence has occasioned the landslides and falling of debris in valley during the heavy rains in the season July 2022-2023. And it is submitted that this is the reason for damage of water supplies also.

8. That the failure to protect the hill slopes by failure in timely adopting slope protection measures is documented in the reply submitted by the MORTH itself in its reply Part-2. The said documents repeatedly notes failure of Authority Engineer (R-11) in adopting protection works/soil stabilisation/other measures for dumping sites, construction zones, culverts etc keeping in view the approaching monsoon. The Applicant is relying upon the following material which clearly suggest negligence on Part of concerned Respondents:

5372

S.no.	Letter/Date	Relevant portion/content of letter
1.	Letter (01.07.2021) written by MORTH to R-10	It may be inferred from the records cited above that despite several requests/instructions of Authority And Authority's Engineer, the Contractor has not taken appropriate actions in respect of : "protection works/soil stabilisation/other measures for dumping sites, construction zones, **culverts blocked with excavated debris** etc keeping in view the approaching monsoon season. (Page 1052)
2.	Letter dated 18.11.2021 written by MORTH to R-11 and R-9 (Package-I)	Given the hill cutting work in substantial length, the protection work for the same is still to be started at many locations. The work programme should be such that the hill cutting and the protection work is done **without much time gap so as to avoid instability of slopes.** (Page 1054) Authority Engineer is directed to make the field staff more attentive at the site and take serious note on the poor management of the site and muck disposal by the contractor. (Page 1055)
3.	Letter dated 18.11.2021 written by MORTH to R-11 and R-10 (Package-II)	Given the slow progress of……protection work (breast wall),….. after a lapse of almost 6 months…. (Page 1056) Team leader was requested to take necessary action to ensure dumping and cutting in planned manner and to carry out adequate protection measures. (Pae 1057)
4.	Letter dated 18.11.2021 written by MORTH to R-	Subsequent to Joint Inspection….. the following directions are conveyed…..

	11 and R-12 (Package-III)	The Protection work should be taken immediately as per site requirement where cutting is being done to avoid instability of the slopes…. (Page 1058) Authority Engineer is directed to make the field staff more attentive at the site and take serious note on the poor management of the site and muck disposal by the contractor. (Page 1059)
5.	Letter dated 07.02.2022 written by MORTH to R-9 (Package-I)	Work for Valley side protection works not started till date by the contractor despite availability of work fronts. There are approx. 09 nos, dumping sites available with the contractor that have been identified in coordination with forest department, schools……etc . Moreover muck generation due to cutting is found to be much higher than the quantity estimated by the contractor. In spirit of the project being on the concept of Green Technology, the designs are required to be finalized for less muck generation and utilisation of maximum cut material in the construction only. (Page 1062)
6.	Letter dated 10.05.2022 written by MORTH to R-11 and R-10 (Package -II)	An inspection was held on 10.05.2022:- It is noted that there were several locations such as km 26+840, km 28+300……..(around 11 locations) etc…. where loose aggregate/material was lying on road. Further there are other locations also…….etc…where excavation has been done for construction of culvert for a very long time but the same has not been completed yet. There are various locations on curves such as about 43.600 km where debris are lying on carriage way. (Page 1065). **Protection measure for landslide site at Km 27.200**: It was observed that despite several

		requests of the Authority conveyed vide letter dated….09.10.2021,……..18.11.2021,…………dated 28.01.2022,……..dated 11.02.2022, necessary action to provide permanent rectification measures is yet to be taken up. **Slope Protection measures:** ……Authority's engineer informed that approx.. 1,77,000 sqm of slope protection measure has been envisaged in signed EPC contract agreement, however same is yet to be taken up by the contractor. (Page 1067)
7.	Letter dated 11.05.2022 written by MORTH to R-11 and R-12(Package III)	It was noted that Hill cutting in approximately 12 km length has been completed by contractor. **Slope Protection measures:** A.E. informed that approx.. 1,90,000 sqm of slope protection measures has been envisaged in EPC contract agreement, however the same is yet to be taken up by the contractor. (Page 1070) **Preparedness for monsoon season:** The Authority's Engineer and Contractor were requested to ensure measure including but not limited to the following keeping in view approaching monsoon: i) … ii) … iii) Retaining structure work and water channelisation in dumping sites. iv) Removal of overhang mass/loose boulders from excavated slopes. v) ……. vi) It was observed that valley side Gabion Wall at Km 72.800 K, had collapsed. vii) … viii) Providing slope protection measures on excavated slopes/protection structures from 67 km to 75 km ….. (Page 1070)

8.	Letter dated 11.05.2022 written by MORTH to R-11 and R-13(Package - IV)	It was noted that Hill cutting in approximately 17 km length has been completed by contractor. However various safety measures are required to be deployed i) … ii) …. vii) There are various location on the curves such as 87.100 km where debris are lying on carriageway. As such timely removal of debris (generated from hill cutting)….. (Page 1073) **Slope Protection measures:** A.E. informed that approx.. 1,60,000 sqm of slope protection measures has been envisaged in EPC contract agreement, however the same is yet to be taken up by the contractor. (Page 1074) It was observed that breast wall at Km 77.30 had collapsed.
9.	Letter dated 11.05.2022 written by MORTH to R-11 and R-14	It was noted that Hill cutting in approximately 1.5 km length has been completed by contractor. However various safety measures are required to be deployed- 9. Timely removal of debris (generated from hill cutting)…… **Preparedness for monsoon season:** The Authority's Engineer and Contractor were requested to ensure measure including but not limited to the following keeping in view approaching monsoon: i) … ii) … iii) Retaining structure work and water channelisation in dumping sites. iv) Removal of overhang mass/loose boulders from excavated slopes. v) …….

5376

		vi) Providing slope protection measures on excavated slopes…. (Page 1077)
10.	Letter dated 25.09.2023 written by MORTH to R-11	It is Pertinent to mention that various quantities of Slope protection measures Such as coco fibre/ Jute erosion Control blanket With shrub/grass plantation, Hydroseeding, Interlink chain mash grass strips, Shotcrete crib wall with vegetation, Slope protection at debris disposal site, Hedge brush layer Bamboo plantation, Geocell with hydroseeding, Bio Engineering Measures etc Have been envisaged as per Provisions of the contract agreement Of respective project packages. Further it may be noted That as per site project progress, reported by Authority's Engineer hill cutting have been completed in approximately 90% of total project length (i.e., 103.55 km), however **progress of aforesaid slope protection measures is disproportionate to the same** thereby leading to failure to adhere to agreed CESMP…….
11.	Letter dated 30.09.2023 written by MORTH to R-11 and R-14	An inspection was held on 30.09.2023……and following was observed: **Moreover various other works such as slope protection measures and water channelisation, landscaping/tree plantation etc at dumping sites have not been completed yet.**

10. It is submitted the above facts when coupled with the fact that at page no.80 of the Joint Committee report it was stated that to open roads during flash floods of 2023, the contractors have pushed the rolled down debris of landslides on downward side of valley at few places instead of dumping the muck at designated dump sites, suggest that it was because of negligence/failure of

the contractors to adopt slope protection measures since 2021 to 2023, which has led to instability of the slopes during the monsoon in 2023. And this failure has been noted/communicated by MORTH numerous times in the letters written to R-11 and other Respondents. Therefore, the entire dump/landslides has been occasioned by the Contractors themselves. Had they adopted timely slope protection measures than the muck would not have gone in to the valley.

11. That timely adoption of the slope protection measures would have been the key which the contractors were legally and morally bound to undertake. The Post facto measures could not undo the damage caused by the negligence.

12. Further none of the contractors in their reply have pleaded the timely adoption of slope protection measures which points to attempt of misleading the Hon'ble Tribunal.

13. That the Private respondents and the MORTH owes an explanation as to why the slope protection measures were not taken on time both at dumping sites and the hill cut portion.

14. That the CPCB in its report at page no. 796 has commented upon the unscientific selection of dumping sites that too near the river bank without any protection measures.

THE FOLLOWING FINDINGS WERE MADE BY CPCB: (at running **page 796)**

a) During the inspection it has been observed that none of the approved/selected dumping sites have been tagged providing details of the location, area involved, capacity of dumping sites, name of the owner of the land etc. which created lots of confusion. **The MoRTH must take initiative to mark all the designated muck dumping site and the details thereof**

should be clearly mentioned in the display boards and the same shall be reported to Regional Office of HPSPCB concerned. HPSPCB shall report all the illegal dumping sites after verification.

b) It has been observed that the muck dumping sites are on the bank of rivers and on steep slopes of the mountain**. There are no specific guidelines regarding the maximum limit of slope/angle at which dumping sites can be selected. In absence of such guidelines, random and haphazard selection of dumping site has taken place which may fail in near future keeping at view of changing patterns of rainfall and recent cases of flash floods in Himachal Pradesh**.

c) During the inspection it has been **observed that muck generated from earth cuttings were dumped into area without any protection measures**. On enquiring with the contractors in general, it has been submitted by them that protection measure if constructed before muck dumping, the force of the rolling muck often destroys the protective measures and results into overtopping of protective measures. However, **the practice should be construction of protective measure first and then dumping of muck.**

d) In many of the dumping sites it has been observed that the debris of earth cuttings are flowing into the river irrespective of whether protection wall has been constructed or not.

e) In many of the dumping site (both approved/not-approved) failure of protection/engineering measures have been observed due to which private farm land of many individuals are susceptible to further damage and the same is required to be addressed and quantified in a time bound manner by MoRTH and District Administration.

f) Due to hill cutting in many locations the slope of upper side has become unstable and may result into land slide in future. Protective measure in all such location is required by contractor to prevent loss of property and life.

g) Dumping of excavated materials into the smaller water channels/ rivulets have been also observed due to which the

natural drinking water sources and irrigation sources may get severely hampered in immediate future. This is required to be addressed and sorted in a time bound manner.

h) From the documents submitted regarding Muck Management Plan and data mentioned in Table 2 it can be clearly observed that out of approved 51,95,146 cum capacity of dumping sites 39,79,360 cum capacity has been utilized so far. In such scenario, **the land slide debris should have been dumped in unutilized dumping areas only instead of littering.**

i) During the inspection it can be clearly felt that muck dumping has been carried out at multiple undesignated sites and **due to which loss of forest wealth has been already caused.** ***The damage so caused is required to be quantified by Himachal Pradesh***

15. It is submitted that in view of the above comments of the CPCB, the claim of R-11 that the EIA has been done seems to be false and misleading. It is further submitted that such unscientific selection of dumping sites has occasioned the muck flow into the streams and river.

16. That further, this negligence has caused damage to the private property of the residents who have been effected by the falling if debris on their homes etc. That few of them have written to the District Administration for compensation against the damage caused to their land. The list of persons along with their representations sent to the Administration along with report of the Administration confirming the damage are annexed as **ANNEXURE A/1 (colly).**

A) Pradhan, Gram Panchayat Badwas, District Sirmaur.

B) Residents of village Dhakoli

C) Jeet Singh S/o Devi Singh R/o Sangtadi P.O Shiri Kyari Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

D) Yashpal Chauhan P.O. Bela Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

E) Balwir S/o Chandnu r/o Dakkar Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

F) Santram s/o Ramnath P.O.Timbi Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

G) Shyama w/o Khazana Singh village Tinkar Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur.

H) Suresh Kumar S/o Inder Singh Village Bandli Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur.

I) Baldev village Gnagtoli Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

J) Residents of village Dhakoli Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

K) Residents of village Gangtoli Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

L) Nain Sing PAnchram s/o Devi village Dhakoli Ram Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

M) Kishan Singh S/o Jal Singh Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

N) Residents of village Shiri Kyari Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

O) Heera Singh S/o Ram Singh village DHakoli Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

P) Neeta ram s/o Rati Ram Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

Q) Balwant Singh S/o Guman Singh village Baambal Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur

R) Pradhan, Gram Panchayat Shri Kyori, Shiallai, District Sirmaur

S) Kanta Chauhan D/o Basti Ram Gram Bhaangi, Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur. M. 8219758329

T) Kuldeep S/o Ratan Singh Gram Bhaangi, Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur.

U) Pardeep S/o Ratan Singh Gram Bhaangi, Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur.

V) Veeru Ram S/o Shobharam Gram Feduwala, Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur.

W) Alar Singh S/o Mana singh Gram Mangtaadi. Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur.

X) Jagpal Singh Village Gangotoli, P.O.Timbi, Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur.

Y) Ratiram S/o Shuparam Gram Naaya, Tehsil Shilaai, Dist Sirmaur.

Z) Residents of Gram Shamah Tehsil Shilaai District Sirmaur

AA) Etc .

PRAYER

It is humbly prayed before this Hon'ble Tribunal to kindly take on record the aforesaid submissions.

23.07.2025

Applicant

Through

Counsel

5382

INDIA NON JUDICIAL

Government of Himachal Pradesh

सत्यमेव जयते

NOTARY DIGVIJAY S. THAKUR Notary Public Sub Division Shillai Regd. No 538/2023 Expired on 20/03/2028 Govt. of H.P.

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-HP53230435899281X
Certificate Issued Date	:	23-Jul-2025 12:50 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ hp19054304/ SHILLAI/ HP-SR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-HPHP19054304996597265223 77X
Purchased by	:	NATHU RAM CHAUHAN SO MEEN SINGH CHAUHAN
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NATHU RAM CHAUHAN SO MEEN SINGH CHAUHAN
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	NATHU RAM CHAUHAN SO MEEN SINGH CHAUHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	20 (Twenty only)

Please write or type below this line

For Stamp Use only

ATTEESTED

Digvijay S.Thakur
Advocate & Notary
SHILLAI (H.P.)

Deponent

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

5383

NOTARY
DIGVIJAY S. THAKUR
Notary Public
Sub Division
Regd. No.
Expired on 20/03/20
Govt. of H.P.

PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

OA No. 127 /2024

In the matter of

Naathu ram Chauhan — Applicant

Versus

Ministry of Road Transport and Highways & Ors — Respondents

I, Naathu ram Chauhan , S/o Meen Singh Chauhan R/o village Pabhar P.O. Jamna Tehsil Kamrau S T, Rangwa Pabhar (246), Sirmaur, Jamna, Himachal Pradesh 173029, presently at delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That I am the Applicant in the Original Application and well being and acquainted with facts and circumstances of the case and thus competent to swear this affidavit.

2. That the accompanying rejoinder is being placed by my counsel under my instructions and contents thereof have been read over and explained to me in my vernacular which are true and correct to my knowledge, the contents thereof may kindly be read as part and parcel to this affidavit also and not repeated herein.

3. The contents as stated above are true and correct to my knowledge and belief.

DEPONENT

Verification
It is verified at Shillai on 23-7-25 that the contents of the present application are true and correct and nothing has been concealed therefrom.

DEPONENT

This affidavit has been presented before for attestation by the deponent personally today on 23/07/25 ... The contents of the same has been read over and explained to the executant, which have been admitted to be correct by him
The deponent has been identified by Sh Self
who is personally known to me hence attested

ATTEESTED
Digvijay S.Thakur
Advocate & Notary
SHILLAI (H.P.)

क्रमाकः- एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0)शिलाई/2022- 1351
कार्लायल उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
दिनांकः शिलाई 26-08-2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
इकाई पांवटा साहिब ।

विषयः मुआवजा बारे एवं सार्वजनिक रास्ते तथा पीने का पानी क्षतिग्रस्त बारे प्रार्थना पत्र बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि समस्त ग्राम वासी धकौली सहसील शिलाई ने एक सामुहिक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया है कि उनके गांव में पीने के पानी तथा आम रास्ते एक वर्ष से बन्द पड़े है तथा पशुओं को बहार निकालने मुश्किल हो रहे है पीने के पानी व पशुओं को पानी पिलाना मुश्किल हो रहा है घास-पति लानी बड़ी मुश्किल हो गई है शीघ्र मौका का निरीक्षण किया जाए ।अतः मौका का निरीक्षण नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था शिलाई के मध्यम से करवाया गया मौका कि रिपोर्ट इस कार्यालय में प्राप्त हो चूकी है । मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार शिलाई के NH 707 सड़क का चौड़ीकरण कार्य कर रही कम्पनी द्वारा आम रास्ता रोड़ कटिंग में लाया गया है जबकि अराजी खसरा न0 887 तादादी 0-6 बीघा रोड़ निर्माण के लिए भू-अर्जन विभाग द्वारा अधिग्रहित नही किया गया है ।

अतः मूल प्रार्थना पत्र मय छानबीन रिपोर्ट आपको भेज कर अनुरोध है कि उक्त विषय के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाए ताकि आम लोगों की समस्या का समाधान हो सके । कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई,जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।
दिनांकः 26-08-2023

पृष्ठांकन संख्याः- यथोपरी 1351
प्रतिलिपि सेवा में,

1. उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर, स्थित नाहन को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. प्रबन्धक HES Infra. Ltd. शिलाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
3. समस्त ग्राम निवासी धकौली तहसील शिलाई को सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

क्रमांक:एस०एन०टी०/शि०/2023---761
कार्यालय नायब तहसीलदार
भू व्यवस्था बृत शिलाई
जिला सिरमौर (हि०प्र०)
दिनांक 24 अगस्त 2023

सेवा मे,

उप मंडलाधिकारी (ना०)
उप मंडल शिलाई (सिरमौर)

विषय:- दरखवास्त वराए HN 707 पर कार्य कर रही कम्पनी को खाता/खतौनी न० 602/1264 खसरा न० 6268/940 रकवा तादादी 1-10 बीघा मौजा शिलाई तहसील शिलाई जिला सिरमौर का मुआवजा दिलाने बारे |

महोदय

आपके कार्यालय के पत्र संख्या क्रमांक 40 एस०डी०के०/उ०म०अ०(ना०)शिलाईदिनांक 22 जून 2023 जो इस कार्यालय को दिनांक 04-04-2023 को प्राप्त हुआ है | इस कार्यालय के प्रेषण संख्या 407 दिनांक 13-04-2023 को प्रकरण मूल रूप से क्षेत्रीय कानूनगो भू व्यवस्था बृत शिलाई को मौका छानवीन हेतु प्रेषित किया गया था जो बाद रिपोर्ट क्षेत्रीय कर्मचारीयान के 16-08-2023 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है | रिपोर्ट कानूनगो मजकूर के अवलोकन से पाया गया कि मुकाम धकोली में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 के निर्माण से अराजी खसरा न० 889,925,926,927,5277/935,937,6268/940/2/2,6270/941/2/2 व 942 NH 707 के निर्माण हेतु भू अर्जन बिभाग द्वारा अधिग्रहित नहीं किया था मगर सड़क निर्माण करने वाली कम्पनी ने उपरोक्त सरे खसरा नम्बरान में अवैध रूप से कटिंग की है जिससे वची हुई भूमि में भू सखलन के कारण भूमि बर्बाद हुई है | उपरोक्त प्रभावित भूमि का अक्स ततीमा तथा फील्ड बुक ,सूचिं मालकान,नकुलात जमाबन्दी तथा मूल रिपोर्ट सम्बंधित कानूनगो संलग्न करके आगामी कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है |

संलग्न-24 पृष्ठ

SDK
SDO(C)
24/8/23

भवदीय

नायब तहसीलदार भू व्यवस्था
भू व्यवस्था बृत शिलाई
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

सेवा में

उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)

झिलाडी

दिनांक — 22/06/023

विषय :- मुआवजा बारे प्रार्थना पत्र

श्री मान जी

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी चंबोली में बन्दोबस्त रास्ते, पीने के पानी की पाईप लाईन एन० एच० 707 में जगली जमीन अधिग्रहित हो गई है जिनके खसरा न० निम्न प्रकार से है। 942, 939, 938, 937, 927, 926, 8280/1432, 923, 853, 925, 6270/941, 6268/940, 6272/1034, 1031-32, 943, 5281/1432 खसरा न० को मौके पर आकर हैक्सार करने की कृपा करें। तथा अधिग्रहित बन्दोबस्ती रास्ते, एव पीने केपानी की पाईपलाईन तथा स्कूल के पास ब्रिज बनाने की भी कृपा करें ताकि बच्चे को आवाजाही का सामना न करना पड़े, अतः आपसे आशा है कि आप हमारी अधिग्रहित जमीन हैक्सार करने की कृपा करें आपकी अत्यन्त कृपा होगी।

धन्यवाद

भवदीय

समस्त ग्रामवासी चंबोली

डा॰ झिलाडी

SDK

LSDO(C) 22/6/23

नाम

1. सुनील शर्मा (उप प्रधान ग्र.प. नाया) [signature]
2. रतन शर्मा [signature]
3. सुन्दर सिंह शर्मा SSSharma
4. आलेख राम शर्मा [signature]
5. पन्ना राम पन्नाराम
6. रूप राम [signature]
7. तोता राम तोता राम
8. नाथु राम नाथुराम
9. अनुज शर्मा [signature]
10 गुमान सिंह Guman
11. अरुण शर्मा Arun
12. अजय शर्मा [signature]
13. टिका राम टिका राम
14. सचिन शर्मा [signature]

52

क्रमांक- स.भू.अ.प्र./उ.म.अ.(ना.)एस 5387 /2022-
कार्यालय सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.), पांवटा-साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र.।
दिनांकः पांवटा-साहिब (पिन-173025)- 16 जून, 2023.

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
पांवटा-गुम्मा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707,
स्थित देवीनगर, पांवटा साहिब।

विषयः NH 707 में चल रहे कार्य बारे।

संदर्भः आपका कार्यालय पत्रांक MoRTH PIU-P.S./RAP/2022-23/Vol.II/2270, दिनांक 02.06.23.

महोदय,

जय-हिन्द!

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि वर्णित पत्र श्री गीता राम पुत्र श्री बिशन सिंह निवासी ग्राम अशयाड़ी की भूमि को सड़क निर्माण के कारण हुए नुक्सान एवं उसका मुआवजा प्रदान करने बारे है। आपने अपने उक्त पत्र में लिखा है कि *''संबंधित निशानदेही प्रक्रिया में उपस्थिति आपके कार्यालय के कर्मचारी द्वारा असहमति जताई गई थी। अतः आपसे अनुरोध है कि इस निशानदेही रिपोर्ट के अनुरूप ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए।''*

आपको स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित निशानदेही का अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कोई संबंध नहीं है अर्थात न तो किसी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है व न ही किसी भूमि-अधिग्रहण विवाद का समाधान किया जाना है, बल्कि संभवतः उक्त श्री गीता राम ने संबंधित निशानदेही, सड़क निर्माण के कारण उसकी भूमि को हुए नुक्सान एवं उसका मुआवजा प्राप्त करने हेतु, मौका की सत्यता प्रमाणित करने के लिए ली होगी। इस प्रकार, इस निशानदेही के आधार पर नियमानुसार, शिकायतकर्ता को उचित मुआवजा प्रदान किए जाने बारे कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः इस विषय में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

संलग्नः उपर्युक्त-

भवदीय

सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.),
पांवटा-साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र.।

पृष्ठांकन संख्याः स.भू.अ.प्र./उ.म.अ.(ना.)एस.डी.के./2022- 1793 दिनांकः 16 जून, 2023

प्रतिलिपि उपमण्डलाधिकारी(ना.), उपमंडल शिलाई सेवा में उनके कार्यालय पत्रांक एस.डी.के./उ.म.अ.(ना.)शिलाई /2022-626, दिनांक 12.05.23 के संदर्भ में सूचनार्थ।

CALA CUM SDO (c)
Paonta Sahib NH 707 Distt. Sirmour H.P

सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.),
पांवटा-साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र.।

श्रीमान जी,
पत्र सूचनार्थ है फाईल किया जाना उचित है
S.D.K

SDK
SDO (C)
22/6/23

SDO (C)

No 736 Dated 16/06/2023

5388

सेवा में,

उपमण्डलाधिकारी ना0

शिलाई, जिला सिरमौर हि0 प्र0।

विशयः–प्रार्थी की खेत जो खसरा नं0 1949 तादादी 1–08 बीघा बांका मौजा शिरी क्यारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर हि0 प्र0। में राश्ट्रीय राजमार्ग 707 के खसरा नं0 1948 के साथ लगता है कटिंग के कारण गिरने से हुए नुकसान की भरपाई करने बारे।

श्रीमान जी,

सायल निम्न हस्ब जेल अर्ज करता है।

1. यह कि प्रार्थी जीत सिंह पुत्र स्व0 श्र‌‌‌ देवी सिंह निवासी संगताडी, पो0 ओ0 शिरीक्यारी, तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि0 प्र0 का स्थाई निवासी है जो खसरा नं0 1948 तादादी 1–08 बीघा में मालिक व काबिज अराजी है।
2. यह कि प्रार्थी के उपरोक्त खसरा नं0 ज़ो खेत के आकार में है के साथ लगता खसरा नं0 1948 जो गैर मुमकीन सडक है पर रा0 राजमार्ग के ठेकेदार क्षरा कटिंग के दौरान अत्यधिक भूसखलन होने से प्रार्थी की उपरोक्त खेत एक तरफ से ढह गया है, जिससे प्रार्थी की फसल पूरी तरह से बरबाद हो गई है।
3. यह कि राट्रीय राजमार्ग द्वारा कटिंग के दौरान भी प्रार्थी ने कई बार उनसे इस बारे बात की तथा जमीन/खेत के गिरने के बाद भी प्रार्थना की कि प्रार्थी के उक्त खेत को ढहने से बचाया जाये लेकिन समयःसमय पर उक्त सडक पर कार्य कर रहे ठेकेदारों ने प्रार्थी को आश्वासन दिया कि अपके खेत के लिए सुरक्षा दिवार लगाकर उसे बचा लिया जायेगा, लेकिन आज तक न तो प्रार्थी के खेत को बचाने हेतू सुरक्षा दिवार लगाई गई तथा न ही प्रार्थी के हुए खेत के नुकसान की भरवाई की गई। केवल आश्वासनों के सिवाये कोई कार्य नहीं हुआ।
4. यह कि प्रार्थी के उपरोक्त खेत को ढहने व हुए नुकसान का मुआयना प्रार्थी ने स्थाई पटवारी द्वारा करवाया गया है जिसकी रिपोर्ट प्रार्थाना पत्र के साथ संलग्न है। परन्तु राश्ट्रीय राजमार्ग द्वारा प्रार्थी की किसी भी प्रकार से हुए नुकसान की भरवाई नहीं की जा रही है।

SDK 3/7/23

अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि राश्ट्रीय राजमार्ग पर कटिंग के कारण हुए भूसखलन व प्रार्थी की भूमि के हुए नुकसान की भरपाई करने के आदेश पारित किये जायें। इसके लिए प्रार्थी माननीय महोदय जी का आभारी रहेगा।

प्रार्थी जीत सिंह

तिथि 02.07.2023

जीत सिंह पुत्र स्व0 श्री देवीसिंह
निवासी संगताडी, पो0 ओ0 शिरीक्यारी
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर हि0 प्र0।
फोन नं0 8894655710

5389

154

सेवा में,

उपपमण्डल अधिकारी (ना0)
शिलाई, जिला सिरमौर हि0 प्र0।

विशयः–मुआवजा राशी दिलाये जाने बारे प्रार्थना पत्र बावत खाता खतौनी नं0 **360मिन/883 खसरा नं0 6064/5074/3613 तादादी 26–03 बीघा मौजा शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर हि0 प्र0।**

महोदय जी,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी यशपाल पुत्र श्री रतनसिंह निवासी बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर हि0 प्र0 का स्थाई निवासी है। प्रार्थी ने बरुये लीज डीड इसके असली मालिक अतर सिंह पुत्र श्री घासी राम निवासी नाया का 1/3 हिस्सा तादादी 8–14 बीघा भूमि 15 वर्शो के लिए ली है जिसका ईन्तकाल नं0 7264 दिनांक 30.08.2019 को स्वीकार है। उपरोक्त हिस्से पर प्रार्थी 15 वर्शो के लिए हर प्रकार के लाभ हानि के लिए पाबन्द रहेगा। प्रार्थी के साथ लगते अन्य मालकान को राश्ट्रीय राजमार्ग द्वारा मुआवजा राशी अदा की जा चुकी है, लेकिन प्रार्थी को अभी तक कोई मुआवजा राजी अदा नही की गई है जबकि प्रार्थी का खसरा नं0 अन्य मालकान से पहले पडता है। इसके ऐवज में प्रार्थी ने जरुरी दस्तावेज पहले ही राश्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय को भेज दिये है परन्तु उसके बावजूद भी प्रार्थी को आज तक मुआवजा राशी नहीं मिल पाई है। महोदय जी प्रार्थी उक्त खसरा नं0 पर 15 वर्शो के लिए लीड डीड के अनुसार मालिक व काबिज है तथा उक्त भूमि के नुकसान के ऐवज मे मुआवजा राशी लेंने का कानूनी अधिकार है।

SDK for n.a.
18/9/23

अतः महोदय जी से विनम्र निवदन है कि रा0 रा0 अधिकारी को निर्देश दिये जाये कि प्रार्थी की भूमि के हुए नुकसान की मुआवजा राशी जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें अन्यथा प्रार्थी को मजबूरन कानून का सहारा लेना पडेगा।

तिथि
18/9/2023

प्रार्थी
यशपाल चौहान
ग्रा. व. पो. ऑ. - बेला
तह- शिलाई
जिला - सिरमौर (हि.प्र.)
98055-55515

5390

सम्मरण पत्र -1

क्रमाकः- एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0)शिलाई/ (NH 707)2023- 1483

कार्लायल उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,

जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिलाई 04 अक्तुबर, 2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

इकाई पांवटा साहिब ।

विषयः जमीन गिरने बारे ।

महोदय,

विषय उपरोक्त तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1209 दिनांक 03-08-2023 के क्रम को जारी रखते हुए आपको अवगत करवाया जाता है कि बलवीर सिह पुत्र चान्दनू निवासी ग्राम डक्कर डाकघर कान्डो भटनोल तहसील शिलाई ने एक अन्य प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत की उसकी मलकीयत अराजी खसरा नम्बर 2284/682मिन तादादी 03-05 वीघा, NH 707 सड़क चौड़ीकरण कटिंग कार्य से गिरकर बरबाद हो गई है जिससे उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है । ।

अतः आपको मूल प्रार्थना पत्र भेज कर अनुरोध है कि आवेदक बलवीर सिह की प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यलय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),

शिलाई,जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

पृष्ठांकन संख्याः-यथोपरी 1483 दिनांकः 04-10-2023

प्रतिलिपि सेवा में,

1. उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर, स्थित नाहन को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी/ उपमण्डलाधिकारी पांवटा साहिब को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है ।
3. परियोजना प्रबन्धक HES Infra Pvt Ltd Shillai को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है ।
4. श्री बलवीर सिह पुत्र चान्दनू निवासी ग्राम डक्कर डा0 कान्डो भटनोल तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),

शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

o/c

167

दिनाँक: - 23/09/2023

सेवा मे,

उप मण्डल दंडाधिकारी (नागरिक)

मण्डल शिलाई, जिला सिरमौर, हि.प्र.।

विषय:— गाँव बाम्बल के गंगटोली खड मे NH707 के डम्पिंग क्षेत्र के मलवे से क्षतिग्रस्त हुए खेत व भूमि कटाव बारे शिकातय-पत्र।

महोदय जी,

मैं कि बलवंत सिंह पुत्र गुमान सिंह गाँव बाम्बल, डाकघर कोटि उतरोऊ, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि. प्र. का स्थायी निवासी हूँ मैं आग्रहपूर्वक उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान चाहता हूँ :-

1 यह कि हमारे गाँव बाम्बल के गंगटोली खड मे मेरे खेत बने हुए हैं जिसके ठीक साथ में NH707 का कार्य चला हुआ हैं व NH707 मलवे के लिए डम्पिंग क्षेत्र बना हुआ हैं व पिछले माह हुई भारी बरसात के चलते डम्पिंग क्षेत्र का मलवा मेरे खेतों में आ गया हैं व मेरे सभी खेत मलवे के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

2 यह कि NH707 के मलवे के लिए बना डम्पिंग क्षेत्र का कार्य कर रही रुधनव कम्पनी द्वारा मलवा रोकने के लिए क्रेटवाल नहीं लगायी गई हैं व कम्पनी की लापरवाही के चलते बरसात के कारण मलवा पानी के तेज बहाव के साथ खेतों में घुस गया व मेरे सभी खेत मलवे के नीचे दब गए हैं।

SDM for n/a
23/9/23.

3 यह कि गंगटोली खड में NH707 के मलवे के लिए बना डम्पिंग क्षेत्र के गिरने का खतरा और भी बना हुआ हैं व जिसको रोकने के लिए चकडेम व क्रेट वाल लगवाने की आवश्यकता हैं ताकि भारी नुक्सान होने से बचाया जाए।

अतः जनाब से विनम्र विन्नति हैं कि मेरे क्षतिग्रस्त हुए खेतों की क्षति के मुआवजे का प्रावधान अपने प्रभावी आदेश से करवाने की कृपा करें। जनाब की महान कृपा होगी।

धन्यवाद सहित

B S Chauhan

प्रार्थी :-

बलवंत सिंह पुत्र गुमान सिंह
गाँव बाम्बल, डाकघर कोटि उतरोऊ,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि. प्र.।
मो न – 9816670143

5392

175

मानानीय उपमण्डलाधिकारी महोदय
शिलाई जिला सिरमौर हि० प्र० ।

विषय — पांवटा-गुम्मा राष्ट्रीय उच्चमार्ग 707 से प्रभावित ~~होने वाले~~ हो चुके मकान का मुआवजा बारे प्रार्थना पत्र ।

श्रीमान जी,

पांवटा-गुम्मा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 से प्रभावित हो चुके सोनचन्द एवं दिनेश पुत्र सन्तराम निवासी उत्तरी तहसील शिलाई का एक और संयुक्त प्रार्थना पत्र जोकि राष्ट्रीय उच्चमार्ग 707 से सम्बन्धित भूमि नंबर-खसरा 1031/1 में बने मकान का मुआवजा प्रदान किए जाने बारे है, जोकि पत्र क्रं० सं०-क्रं० अ०प्र०/उ०म०अ० (ना०) एन.एच.डी. का/2022-2114 दिनांक 5/अगस्त 2023 के रूप में पहले से ही सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी पांवटा साहिब जिला सिरमौर को प्रस्तुत किया गया है।

अतः महोदय से एक बार पुनः आग्रह है कि आप एक बार फिर से इसमें उचित कार्यवाही व मेरे मकान का ~~मुआ~~ सेटलमेंट बनवा कर उचित मुआवजा दिलवाने की कृपा करें।

धन्यवाद

प्रार्थी
सोन चन्द व दिनेश S/o सन्तराम
ग्राम उत्तरी पो० ऑ० व तह० शिलाई
जिला सिरमौर हि० प्र० ।

SDM Paonta to take action

1k for n/a
25/x/23

5393

स. उद्यान डी.वी.एस.30/2011-12– 1222

184

सेवा में ,

उप –मडलाधिकारी (ना.)
शिलाई, जिला सिरमौर हि.प्र.
दिनाक : 25/8/2023

विषय : NH 707 मोजा बान्द्ली में हुए सेब के पेड़ के नुक्सान बारे।

महोदय जी.

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय पत्र स. 305 दिनाक 16/8/2023 की अनुपालना में श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री इंदर सिंह निवासी बान्द्ली पो.ओ. कांडो भटनोल तहसील शिलाई का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुवा हे| जिसमे प्रार्थी के भूमि खसरा न. 363 ता. रकबा 50.18 बीघा शामलात पति बान्द्ली हवस्त खेवट में 3.0 बीघा में सेब बागीचा लगा हुवा हे| जो कि NH707 के साथ लगा हुआ हे।

अत: महोदय जी अधिक वर्षा भू खलन होने के कारण सेब का बागीचा क्षतिग्रस्त हो गया हे| जिसका कि दिनाक 21/08/2023 को उद्यान विकास अधिकारी व मुखीयालय उद्यान प्रसार अधिकारी द्वारा निरिक्षण किया गया। तथा नुकसान का मोके पर आकलन किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हे|

क्र. स.	फलदार पोधो का नाम	मात्र	दर	कुल राशि
01	सेब (रोयल कलमी)	30 न.	2681/-	80430/-
	कुल योग	---	----	**80430/-**

सलग्न : 01 न.

भवदीय

Horticulture Development Officer Development Block Shillai

स. उद्यान डी.वी.एस. 30/2011-12–   दिनाक.......................

प्रतिलिपि :

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री इंदर सिंह ग्राम बान्द्ली पो.ओ. कांडो भटनोल तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि.प्र.जिला सिरमौर हि.प्र. की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित हे।

उद्यान विकास अधिकारी,
विकास खंड शिलाई ,

SDK
SDO(C)
25/8/2023

5394

विस्तृत रिपोर्ट

मान जी,

आगवा आदेश क्रमांक 472 OK/TS/NH/2023 dt 28/08/2023 की अनुपालना मे कुन्दन लाल पुत्र नैण सिंह निवासी गंगटोली तह० शिलाई द्वारा दिए गए शिकायत पत्र की छानबीन हेतू मौका पर गया। बाद कागजात माल व मौका निरीक्षण के पाया कि मौजा गंगटोली मे खसरा न० 372 रकबा 0-12 बीघा जिसमे प्रार्थी मुशतरका तौर पर मालिक है, मे NH 707 का मलबा बजरी, पत्थर आदि गिरा हुआ है। खसरा न० 347 मौजा गंगटोली मे भी मलबा गिरा हुआ है, सरसरी तौर पर कुल 0-15 बी० रकबे मे मलबा गिरा हुआ है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान खाता न० 2 खतौनी न० 6 रतीराम, कुन्दन सिंह आदि की मलकियत भूमि से सम्बन्धित है। अतः रिपोर्ट सेवा मे सादर पेश है।

प्रधान राजस्व अधिकारी
PC गंगटोली, तह० शिलाई
जिला सिरमौर हि० प्र०
तिथि: 14/9/2023

१९८

5395

दिनांक:- .26/ 10 / 2023.

सेवा मे,

श्रीमान उपमंडल दंडाधिकारी महोदय,
उप मंडल शिलाई,जिला सिरमौर, हि.प्र.,

विषय :- दरखास्त बराये किए जाने कानूनी कार्यवाही बाबत एन. एच. 707 मौजा खडकाह खसरा नंबर. 469, 470, 472, स्थान मीनस में मेरा मकान व दुकान तोड़ने बारे।

महोदय जी,

मै ज्ञान सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री भूप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री डौला निवासी ग्राम व डाकघर झकांडो तहसील शिलाई जिला सिरमौर का स्थाई निवासी हूँ।

1. यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर में हमारी पांच विश्वा पुश्तैनी जमीन है जहा पर सेंकडो वर्ष से मेरे दादा परदादा दुकानदारी का काम करते थे 70 के दशक में भारी बारिश के कारण मीनस का पूरा बाज़ार नदी में बह गया जिसके कारण पुराने मकान के कोई भी अंश बाकि शेष न है हमे पश्तो से मीनस में अपने पशु पालन के साथ धियाडी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते है, मैंने वर्ष 2014 में राजस्व विभाग से उपरोक्त खसरा न. की निशानदेही करवाई, विभाग के बताए गए निशान में मैने अपने मकान की बुन्याद तैयार करके वर्ष 2017 में अपना एक मकान बनाया है दिनांक 25/10/2023 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी , पुलिस कर्मी व राजस्व विभाग के हल्का पटवारी बुल्डोजर के साथ मौके पर आए और मेरे मकान व दुकान को तोड़ने की कोशिश की गयी मैंने इसका कारण पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया आपने राष्ट्रीय मार्ग की जमीन पर अतिक्रमण किया है।
2. यह कि जब राष्ट्रीय मार्ग 707 में निर्माण कार्य शुरू किया गया तो वहा पर किसी भी विभाग ने कोई आपति प्रकट नही की की हमने वहा कोई अतिक्रमण किया है न हि सरकार ने हमसे जमीन अधिग्रहण की है, दिनांक 25/10/2023 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी जिस दुकान व मकान को अतिक्रमण बता रहे है वह राष्ट्रीय मार्ग के निर्माण प्रक्रिया से पूर्व काल में निर्मित किया गया है जो नई दुकान चदर से बनाई है वह हमें पुराने रसोई व मकान की सीडी पर बनाई है जिसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी अतिक्रमण बता रहे है।
3. यह कि हमने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी से अनुरोध किया कि कृपया हमे यह तो बताए की हमारे मकान कितने फुट या मीटर आपके जमीन के सीमा के अंदर बना है तो विभाग ने इस बात को स्पष्ट करने में कोई रूचि न दिखाई

SDK for n/c
[signature]
26/X/23.

5396

सेवा मे,

दिनांक:- .26/ 10 / 2023.

DC/ADC/ADM/AC/DRO
Branch............DRO
D.No...413374..........
Date...30/10/23......2
30/10/2023

श्रीमान : जिलाधिश महोदय,
स्थित नाहन ,जिला सिरमौर, हि.प्र.,

विषय :- दरखास्त बराये किए जाने कानूनी कार्यवाही बाबत एन. एच. 707 मौजा खडकाह खसरा नंबर. 469, 470, 472, स्थान मीनस में मेरा मकान व दुकान तोड़ने बारे|

महोदय जी,

मै ज्ञान सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री भूप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री डौला निवासी ग्राम व डाकघर झकांडो तहसील शिलाई जिला सिरमौर का स्थाई निवासी हूँ |

1. यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर में हमारी पांच विश्वा पुश्तैनी जमीन है जहा पर सेंकडो वर्ष से मेरे दादा परदादा दुकानदारी का काम करते थे 70 के दशक में भारी बारिश के कारण मीनस का पूरा बाज़ार नदी में बह गया जिसके कारण पुराने मकान के कोई भी अंश बाकि शेष न है हमे पश्तो से मीनस में अपने पशु पालन के साथ धियाडी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते है, मैंने वर्ष 2014 में राजस्व विभाग से उपरोक्त खसरा न. की निशानदेही करवाई, विभाग के बताए गए निशान में मैने अपने मकान की बुन्याद तैयार करके वर्ष 2017 में अपना एक मकान बनाया है दिनांक 25/10/2023 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी , पुलिस कर्मी व राजस्व विभाग के हल्का पटवारी बुल्डोजर के साथ मौके पर आए और मेरे मकान व दुकान को तोड़ने की कोशिश की गयी मैंने इसका कारण पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया आपने राष्ट्रीय मार्ग की जमीन पर अतिक्रमण किया है |
2. यह कि जब राष्ट्रीय मार्ग 707 में निर्माण कार्य शुरू किया गया तो वहा पर किसी भी विभाग ने कोई आपति प्रकट नही की की हमने वहा कोई अतिक्रमण किया है न हि सरकार ने हमसे जमीन अधिग्रहण की है, दिनांक 25/10/2023 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी जिस दुकान व मकान को अतिक्रमण बता रहे है वह राष्ट्रीय मार्ग के निर्माण प्रक्रिया से पूर्व काल में निर्मित किया गया है जो नई दुकान चदर से बनाई है वह हमें पुराने रसोई व मकान की सीडी पर बनाई है जिसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी अतिक्रमण बता रहे है |
3. यह कि हमने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी से अनुरोध किया कि कृपया हमे यह तो बताए की हमारे मकान कितने फुट या मीटर आपके जमीन के सीमा के अंदर बना है तो विभाग ने इस बात को स्पष्ट करने में कोई रूचि न दिखाई

O.K
D.R.O
31/10/2023

Singh S/O Surat Singh. Timbi

5397

क्रमांकः- एस0डी0क0/उ0म0अ0(ना0)शिलाई/2022- 1174
कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
दिनांकः शिलाई 25-07-2023

परियोजना निदेशक,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
इकाई पांवटा साहिब ।

विषयः NH 707 से कलवर्ट बदलने व नुकसान की भरपाई बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र राजेन्द्र सिह पुत्र सूरत सिह निवासी ग्राम चिकाड (टिम्बी), तहसील शिलाई ने इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनकी जमीन के साथ NH 707 कम्पनी ने कलवर्ट बनाया है जिससे वर्षा के पानी उनकी खेत में आ गया है तथा शिमला मिर्च की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है और खेत में गहरी-2 खाइयां बन गई है, पूरा खेत बरबाद हो गया है ।

अतः मूल प्रार्थना पत्र व इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एस0डी0क0/उ0म0अ0 (ना0) 510 दिनांक 27-04-2023 की छायाप्रति आपको भेजकर पुनः निवेदन है कि प्रार्थी के परिवार की मलकीयती कृष्ट भूमि ख0न0 790 रकबा तादादी 1-15 बीघा के उपर निर्मित पानी की निकासी हेतु कलवर्ट बारे नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि इनकी उपजाऊ भूमि को बरबाद होने से बचाया जा सके । कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

o/c.

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई,जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

पृष्ठांकन संख्याः-यथोपरी 1174
प्रतिलिपि सेवा में,

दिनांकः 25-07-2023

उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर, स्थित नाहन को सूचनार्थ प्रेषित है ।

SDK
20/12/23

SDM ~~Rajgarh~~ Shillai to look into it and do the needful. o/c
[signature] (DC)
ji...

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

21

5398

सेवा में,

उपपमण्डल अधिकारी (ना0)
शिलाई, जिला सिरमौर हि0 प्र0।

विशयः–मुआवजा राशी दिलाये जाने बारे प्रार्थना पत्र बावत खाता खतौनी नं0 360मिन/883 खसरा नं0 6064/5074/3613 तादादी 26–03 बीघा मौजा शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर हि0 प्र0।

महोदय जी,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी यशपाल पुत्र श्री रतनसिंह निवासी बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर हि0 प्र0 का स्थाई निवासी है। प्रार्थी ने बरुये लीज डीड इसके असली मालिक अतर सिंह पुत्र श्री घासी राम निवासी नाया का 1/3 हिस्सा तादादी 8–14 बीघा भूमि 15 वर्शो के लिए ली है जिसका ईन्तकाल नं0 7264 दिनांक 30.08.2019 को स्वीकार है। उपरोक्त हिस्से पर प्रार्थी 15 वर्शो के लिए हर प्रकार के लाभ हानि के लिए पाबन्द रहेगा। प्रार्थी के साथ लगते अन्य मालकान को राश्ट्रीय राजमार्ग द्वारा मुआवजा राशी अदा की जा चुकी है, लेकिन प्रार्थी को अभी तक कोई मुआवजा राजी अदा नही की गई है जबकि प्रार्थी का खसरा नं0 अन्य मालकान से पहले पडता है। इसके ऐवज में प्रार्थी ने जरुरी दस्तावेज पहले ही राश्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय को भेज दिये है परन्तु उसके बावजूद भी प्रार्थी को आज तक मुआवजा राशी नहीं मिल पाई है। महोदय जी प्रार्थी उक्त खसरा नं0 पर 15 वर्शो के लिए लीड डीड के अनुसार मालिक व काबिज है तथा उक्त भूमि के नुकसान के ऐवज मे मुआवजा राशी लेने का कानूनी अधिकार है।

SDK for n/a
18/9/23

अतः महोदय जी से विनम्र निवदन है कि रा0 रा0 अधिकारी को निर्देश दिये जाये कि प्रार्थी की भूमि के हुए नुकसान की मुआवजा राशी जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें अन्यथा प्रार्थी को मजबूरन कानून का सहारा लेना पडेगा।

तिथि
18/9/2023

प्रार्थी
यशपाल चौहान
ग्राम व पो० ऑ० - बेला
तह- शिलाई
जिला -सिरमौर (हि0)
98055-55515

5399

क्रमाकः- एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0)शिलाई/2022- 1556

कार्लायल उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,

जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिलाई 06-11-2023

सेवा में,

तहसीलदार,

शिलाई जिला सिरमौर हि0प्र0।

विषयः जमीन पर NH 707 का मलवा गिरने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सदर्भ में इस कार्यालय में पंचराम शर्मा पुत्र बस्तीराम गांव गंगटोली ने एक प्रार्थना पत्र उसकी मलकीयति जमीन पर NH 707 का मलवा गिरने बारे प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया है कि NH 707 पर लगी एक दीवार उसकी खेत के उपर गिर गई है जिसके कारण खेत मलवा से दब गया है तथा खेत में लगी मक्की की फसल बरबाद हो गई है तथा आग्रह किया है कि उसके खेत से मलवा साफ करवाया जा तथा मक्की की फसल का मुआवजा दिलाया जाए ।

अतःप्रार्थना पत्र की छाया प्रति आपको भेजकर लिखा जाता है कि मौका की छानबीन करके मौका की रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करे ।

भवदीय

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)

शिलाई,जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

पृष्ठांकन संख्याः- यथोपरी 1556 दिनांकः- 06-11-2023

प्रतिलिपिः-1. सेवा में उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर स्थित नाहन को सूचनार्थ सादर प्रेषित है ।

2. श्री पंचराम शर्मा पुत्र बस्ती राम गांव गंगटोली को सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)

शिलाई,जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

ok

5400

सेवा में,

उप-मण्डल अधिकारी,
S.D.M. शिलाई
जिला सिरमौर, हि०प्र०।

विषय :

महोदय जी,

सविनय निवेदन है कि मैं बलबीर सिंह पुत्र श्री चान्दनू निवासी ग्रा० डवकार, डा. कान्डो भटनोल त० शिलाई, जि० सिरमौर (हि०प्र०) का स्थाई निवासी हूँ। यह कि मैं भूमि खाता/खतौनी न. 92 मिन/167 मिन, खसरा न. 2284/682 म तादादी 03-05 बिघे वाका मौजा कान्डो भटनोल में मालिक व काबिज हूँ। यह कि NH 707 सड़क चौडीकरण कटिंग करने के कारण उपरोक्त खसरा न. 2284/682 म तादादी 03-05 बिघे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा मौका पर उपरोक्त खसरा न. पर कोई व किसी प्रकार की भूमि मौजूद न है। तथा जनाब से निवेदन है कि मुझे मेरी जमीन के नुकसान का मुआवजा दिया जावे व संबंधित कम्पनी से भी मेरी जमीन के हुए नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए

दिनांक -23/1/24

बलबीर सिंह
प्रार्थी
बलबीर सिंह पुत्र चान्दनू
निवासी ग्रा. डवकार, डा. का. भ.
त० शिलाई, सिरमौर हि० प्र०

5401

पूज्य समाननीय ... हर्ष वर्धन चौहान जी

उद्योग मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

विषय: N.H द्वारा मेरे जमीन व बगीचे का क्षति होना व नुकसान के बारे।

महोदय जी

निवेदन करता हूँ कि सन एच द्वारा मेरे खा: का बगीचा व जमीन का नुकसान हुआ है जो इस प्रकार है आडू के पौध जिसमें फल लगाव है करीब बीस पौधा नष्ट हो गया है जमीन जिसमे मेरी फसल उगाती थी वह भी नष्ट हो गई है सड़क उन्होने पहले मेरे जमीन के साईड ओर रोड बनाना शुरु कर दिया जो की मेन रोड से करीब 100 मीटर नीचे कटिंग की है और अब वही रोड उपर से बनाया जा रहा है मेरा करीब लाखों का नुकसान किया है।

मै मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि या तो मेरी जमीन बनवा दी जावे या इसका नुकसान का पैसा मुझे दिलवाया जावे ताकि मैं अपनी जमीन बनवा सकूं जिससे मेरा जो हुआ नुकसान पूरा कर सकूं। आपकी मेहरबानी होगी।

प्रार्थी

सन्त राम पुत्र रामलाल
गांव पो: औ टिक्कर
तह: शिलाई
सिरमौर H.P.

SDM Shillai
to do the needful
Harsh Chauhan
Industry Minister

5402

सेवा में

श्रीमान उप मंडलाधिकारी (नागरिक)

शिलाई।

विषय :— मौजा शिलाई में ख्वाईनं.34 खतौनी नं. 258/577 खसरा नं 4940/1875/1 मे मकान का मूल्याकन बारे में।

महोदय जी

उपरोक्त विषय पर निवेदन इस प्रकार से कि मेरा मकान खाता खतोनी नं 258/597 खसरा नं. 4940/875/1/6 वर्ष 2007 मे मेरे पति खजान सिंह ने रिहायशी मकान पांच बिस्वा के अन्दर बना रखा है मकान के आगे एक सेफ्टी टैंक भी बना हुआ है जो कि N.H 707 के दायरे में आ रहा है जिसमा को 18 मीटर अधिग्रहण कर लिया है। लेकिन रिहायशी मकान का 4-5 मीटर हिस्सा N.H. 707 के दायरे में आ रहा है लेकिन मकान का अभी तक मूल्याकन नही किया गया है। मेरा मकान 210 मीटर लगभग 2250 SQ फीट है अब मकान के नीचे की जमीन का अधिग्रहण हो चुका है व उसका पैसा भी मिल चुका है लेकिन मकान का मुआवजा नही दिया गया है। जबकी मकान, अधिग्रहण कि गई जमीन पर बना है मुझे मश्तर खाते से जमीन दी गई थी व मौके का कब्जा N.H. 707 मैं दिया गया था। जिसका इंतकाल मेरे नाम है।

अतः महोदय से निवेदन है कि मेरे मकान का मूल्याकन मेरी मौजुदगी में किया जाए और मुझे मकान का मुआवजा दिलाने की कृपा करें ताकि मैं वक्त के रहते पुनः निर्माण कर सकू आप कि बहुत बड़ी कृपा होगी

SDK for n/a
27/1/24

धन्यवाद सहित

दिनांक
27/01/2024

भवदीय
Shyama

श्यामा, w/o श्री खजान सिंह
गांव टिक्कर P.O & Teh.
शिलाई सिरमौर हि.प्र.
Mob 8219912743

5403

सेवा में

उपमण्डलाधिकारी (ना०)
उपमंडल शिलाई,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

विषय - आगामी कार्यवाही हेतु !

श्रीमान जी,

निवेदन इस प्रकार से है कि मैं बीज राम पुत्र श्री खेमाराम ग्राम कैइवाला का स्थाई निवासी हूं। मैंने NH707 के कटींग से हुए नुकसान के लिए SDM पावटा के पास कागजात दिए थे। जिसके बाद हमे निरीक्षण के लिए आर्डर आये जो। आपके आदेशानुसार हमारे पटवारी हल्के ने उनका निरीक्षण करके हमे सारे कागजात और रिपोर्ट बनाकर दी। जो कि सारे अब तैयार है।

आपसे निवेदन है हमारे सारे ~~कागज~~ कागजात SDM (KALA) पौंटा साहिब को भेजकर हमारे हुए ~~नु~~ नुकसान के बारे में बताए।

धन्यवाद

[signature]

बीज राम पुत्र खेमा...

गांव - कैइवाला
डा० - शिरी क्यारी
त० शिलाई
जिला सिरमौर
हिमाचल प्रदेश
173027
85805-16650

DK - [illegible]
28/12/23

5404

दिनांक:- 27-01-2024

सेवा में,

उपमंडल दंडाधिकारी (ना.)

उप-मण्डल शिलाई।

विषय:- दरखास्त बराये मुआवजा दिलवाए जाने के विषय में आपकी कार्यवाही बारे।

महोदय जी,

मैं सुरेश कुमार पुत्र इंदर सिंह ग्राम- बांदली,तहसील शिलाई जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हूँ।

1. यह कि मौजा बांदली में खसरा नंबर 363 तदादी 50-18 बीघा रकबा शमलात पति मे मालिक अराजी हैं ।
2. यह कि यह मैंने उपरोक्त भूमि पर मैंने खेत बनाए, सेब के 100-120 सेब के पौधे लगाए,केंचुआ पीट बनवाया, कच्ची गोशाला, ग्रेडिंग स्टोर, व गोशाला के नीचे दीवार बनाई थी जो कि बन रहे रोड NH-707 (पोंटा से गुम्मा फेडिस तक)के कटिंग के दोरान क्षतिग्रस्त होकर गिर गए हैं। जिसके नूकसान की शिकायत उप-मंडलाधिकारी शिलाई को 04/06/2022 मे दी थी जिसका मोके पर पटवारी हल्का द्वारा निरीक्षण किया गया व नुकसान रिपोर्ट तैयार कर अपने सभी कागजात SDM शिलाई के कार्यालय में जमा करवा दिए थे।
3. यह कि उसके पश्चात मैंने सभी दस्तावेज मुआवजे हेतु SDM KALA- पोंटा साहिब कार्यालय मे भी जमा करवाने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्यवाही नही हुई है।

अतः जनाब से गुजारिश हैं कि मेरे उपरोक्त नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे के लिए हमारे कागज SDM KALA- पोंटा साहिब को कार्यवाही के लिए भेजे जाने की कृपा करें। जनाब की महान कृपा होगी।

सुरेश कुमार

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी

सुरेश कुमार पुत्र इंदर सिंह ग्राम- बांदली,

तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि.प्र.

मो. न. - 8627938363

5405

सेवा में

SDM Shillai
to do the needful
[signature]

श्रीमान उप-मण्डलाधिकारी (ना०)
उप-मंडल शिलाई

विषय :- N.H. 707 रोड का बरसाती पानी हमारे मकानों के लेन्टर पर आने बारे व गाँव के रास्ते बन्द होने बारे।

महोदय जी,

सविनय निवेदन है कि हम ग्राम वासी ग्राम धांकोली, तहसील शिलाई के रहने वाले हैं तथा आज कल N.H 707 का रोड कार्य चल रहा है रोड का सारा पानी हमारे मकानों की लेन्टर पर आ रहा है जिससे किसी परिवार और बच्चे आदि को ही इसके अलावा गाव के रास्ते सब बन्द हो गये हैं और खाले के बावड़ी मलबे में दब गई है, जिससे हमारे पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है खाले में बावड़ी बनाई जाए ताकि हमारे पशु पानी पी सके तथा क्षतिग्रस्त रास्ते भी पुनः बनाए जाए ताकि हम लोगों को आने जाने की सुविधा मिल सके।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि N.H. 707 में रोड का पानी छोड़ा जाए खाले में निर्माण कार्य करवाई की जाए ताकि पानी बहकर सके तो, श्रीमान की महान कृपा होगी।

दिनांक :- 3/5/2023.

हम सब समस्त ग्रामवासी
धांकोली निवासी

1. [signature] ग़ुमानसिंह
2. Anil Sharma [signature]
3. Sachin Sharma [signature]

9.8.05.6
08.511

5406

सेवा में

श्रीमान उप मण्डलाधिकारी (ना.)
उप मंडल शिलाई।

विषय वास्ते बारे N H 707 गंगटोली के पास लिंक रोड के पास कटाव होने के कारण मेरा सेब का बगीचा में कटाव लगने बारे

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि मैं निवासी बलदेव S/O श्री लायक राम ग्राम गंगटोली का निवासी हूं मैंने अपने खेत में एक सेब का बगीचा लगाया है जिस में N.H. 707 गंगटोली में CH 54+305 के पास ऊपर से सड़क का पानी से लिंक रोड में कटाव लगने के कारण मेरे बगीचा में कटाव लगा है लगातार बरसात है कि N.H. के कारण बगीचा जिस में 10-15 पौधा खतरे में है अतः सविनय निवेदन है कि आप सामने के बगीचे में खाई भरवा कर मेरे बगीचे की सुरक्षा हो सकती है जिस की मैं बगीचे की कोई कोई सोच सतत कर रहा हूं

मेरा आप से करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस गरीब पर ध्यान देंगे आप कि महान कृपा हो।

धन्यवाद

प्रार्थी बलदेव

बलदेव S/O श्री लायक राम
ग्राम गंगटोली पो.ऑ. टिम्बी
त.- शिलाई

SDM Shillai
to do the needful
[signature]
3m

GC
[signature] 27.02.24

सेवा में:-

श्री मान हर्षवर्धन चौहान,
उद्योग मन्त्री सरकार हि०प्र०
शिमला।

विषय:- N.H.707 कम्पनी द्वारा रास्ता व पीने का पानी बन्द होने बारे।

महोदय जी,

सविनय निवेदन है कि हम ग्राम वासी ग्राम चंकोली, तहसील शिलाई के रहने वाले है यह कि N.H 707 कम्पनी द्वारा रोड का कार्य चल रहा है जिससे हमारे गांव के रास्ते व पीने का पानी बन्द पड़ा है। इसबारे हमने उपमण्डल अधिकारी (ना०) शिलाई को कई बार लिखित व मौखिक आवेदन किये तथा N.H.707 कम्पनी को भी कई बार कहा लेकिन आज तक हमारे रास्ते व पीने का पानी बन्द पड़ा है जिससे पीने का पानी बाहर लाना पड़ रहा है। पशुओं को पानी पिने के लिए पशुओं के लिए रास्ता भी नही है जिससे हम करीब 25-30 घर के लोग भी रास्ते रोड़ वन्द हो बन्द पड़े है जिससे हम बहुत परेशान है

अतः जनाब से निवेदन है कि N.H.707 कम्पनी द्वारा हमारे रास्ते व पीने के पानी को ठीक करवाने की कृपा करें। जनाब की अति कृपा होगी।

समस्त ग्राम वासी
ग्राम चंकोली तह० शिलाई

- पंच वार्ड
- [signature]
- [signature]
- रवीराम

Mangat Ram, 85807 / 46844

5408 262 41

दिनांक - 21-8-2023

सेवा में,

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
शिलाई जिला सिरमौर (हि.प्र.)

विषय:- दिनांक 04-8-2023 की बैठक में लिए गए निर्णय को अमल में लाने हेतु प्रार्थना पत्र

महोदय जी

विनम्र पूर्वक निवेदन है कि उपरोक्त दर्शाए गए दिनांक को ग्राम वासी लोहराड़ ने आपके कार्यालय के निर्देशानुसार बैठक में भाग लिया जिसमें ग्रामीणों ने विस्तार से सिंचाई व बन्दोबस्त कुहुल गमंटोली स्थान से जोग्ला वास बन्द होने बारे बताया और चर्चा की जिसमें सभी अधिकारी व बैठक में शामिल लोगों ने निर्णय लिया की इस कुहल का निर्माण व मुरम्मत कार्य तुरन्त शुरू किया जाएगा लेकिन अभी तक कोई भी कार्य शुरू किया गया है

अतः हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि इस कुहल के निर्माण कार्य को तुरन्त शुरू करवाने कृपा करें धन्यवाद सहित

प्रार्थीगण - समस्त ग्रामवासी
ग्राम लोहराड़ - जोग्ला वास

सुन्दर सिंह

5409

क्रमांक- स.भू.अ.प्र./उ.म.अ.(ना.)एस.डी.के./2023-
कार्यालय सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उपमण्डल अधि (ना.), पांवटा-साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र.।
दिनांक: पांवटा-साहिब (पिन-173025) फरवरी, 2024.

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
पांवटा-गुम्मा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707,
स्थित- सनफार्मा के सामने, उपसम्पदा बाता-मण्डी, पांवटा साहिब।

विषयः पांवटा-गुम्मा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 से प्रभावित होने वाले व्यक्ति श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री चान्दनू, निवासी ग्राम डक्कर, पत्रालय कांडो-भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर का प्रार्थनापत्र।

• **महोदय,**

जय-हिन्द!

पांवटा-गुम्मा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 के संबंध में, श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री चान्दनू, निवासी ग्राम डक्कर, पत्रालय कांडो-भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर का प्रार्थनापत्र (दिनांक 27.01.24), जोकि राजस्व-ग्राम कांडो-भटनोल, तहसील शिलाई, में सड़क निर्माण के कारण, उनकी भूमि नंबर-खसरा 2284/1682 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा से संबंधित भूमि को सड़क चौड़ीकरण से नुक्सान होने व उसका मुआवजा संबंधित कम्पनी से प्रदान करवाए जाने बारे है, इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

कृपया उचित रूप से, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करवाने तथा कृत कार्यवाही से उक्त प्रार्थी को भी शीघ्र अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नः उपर्युक्त- मूल पत्र-1

भवदीय

सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.),
पांवटा-साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र.।

• पृष्ठांकन संख्याः स.भू.अ.प्र./उ.म.अ.(ना.)एस.डी.के./2023- 585 दिनांकः 28 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि उक्त प्रार्थी श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री चान्दनू, निवासी ग्राम डक्कर, पत्रालय कांडो-भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि.प्र. को, उनके उक्त पत्र के संदर्भ में, इस आशय सहित कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में केवल भूमि-अधिग्रहण उपरांत उसका मुआवजा देने का कार्य किया जाता है। सड़क कटिंग, मलबे आदि के कारण हुए नुक्सान बारे, आगामी कार्यवाही हेतु, उक्त अधिकारी (परियोजना निदेशक) के कार्यालय से संपर्क करें।

सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.),
पांवटा-साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र.।

5410

क्रमाकः-एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0))शिलाई/2023 (NH707)- 361
कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,
जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश ।
दिनांकः शिलाई 28 मार्च , 2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय
इकाई पांवटा साहिब ।

विषयः- NH707 में जमीन का पैसा न मिलने बारे प्रार्थना पत्र श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व0 जगत राम निवासी कोटी उतरोऊ तहसील शिलाई ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस कार्यालय में श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व0 जगत राम निवासी कोटी उतरोऊ तहसील शिलाई ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया है कि उसकी मलकीयत जमीन मौजा अश्याड़ी मे NH707 सड़क की चौड़ीकरण कटिंग कट कर नष्ट हो चूकी है जिसका मुआवजा मुझे अभी तक नही मिला है जबकि मेरे इर्द- गिर्द वालों को मुआवजा मिल गया है तथा मुआवजा दिलाने का आग्रह किया है ।

अतः प्रार्थना पत्र को मूल रूप से आपको भेजकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र का अवलोकन करके नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें । तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाएं ।

संलग्नः- मूल प्रार्थना पत्र 1 पृष्ट

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

पृष्ठांक संख्याः- यथोपरी 361 दिनांक 28-03-2024

प्रतिलिपिः- श्रीमती लीला देवी पत्नी सव0 जगत राम निवासी ग्राम कोटी उतरोऊ तहसील शिलाई को सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

5411

सेवा में,

श्री मान उप-मण्डलाधिकारी (प्रा०)
उप-मण्डल भिलाई।

दरख्वास्त बाबत N.H.707 गंगोरी के पास लिंक रोड रास्ता गिरने बाबत।

श्री मान जी,

सविनय निवेदन है कि हम निवासी ग्राम गंगोरी पो.ऑ. पत्ता-ओवला(?), तहसील भिलाई के रहने वाले है हमारे घर से N.H. 707 रोड तक पंचायत द्वारा रोड/रास्ता बना हुआ था जो N.H. 707 रोड की कटिंग होने के कारण ग्राम गंगोरी में गिर/खराब हो गया है जिससे हम लोगों के पशुओं का आना जाना बाधित हो रहा है जिससे हम लोगों को ~~परेशान~~ है इज को. कार्य कम्पनी राजस्थान इन्फ्रा द्वारा 10-12 दिन के परेशान है। किया जा रहा है जो ग्राम गंगोरी के मध्य में स्थित चैनेज CH 34+305 में स्थित है जो रास्ता खराब हुआ है वह कटिंग में है वहां पर ब्रेस्ट वाल लगानी चाहिये क्योंकि वहां पर रोड के पानी का बहाव है ताकि रोड भी सुरक्षित रहे और हमारा रास्ता भी ठीक रहे।

282
2-4-24

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त कम्पनी से ग्राम गंगोरी में हमारा रास्ता/रोड को नया बनाने की कृपा करें। श्रीमान की महान कृपा होगी।

समस्त ग्राम वासी
गंगोरी निवासी

1 [illegible]
2 [illegible]
3 कुन्दनलाल
4 बासुराम
5 [illegible]
6

279

5412

क्रमाकः-एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0))शिलाई/2024 (NH 707)-
कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,
जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश ।
दिनांकः शिलाई 08 अप्रैल, 2024

सेवा में,

नायब तहसीलदार,
भू-व्यवस्था विभाग शिलाई ।

विषयः- अराजी ख0न0 5280/1432/2 ता0 12-09 वीघा व ख0न0 5342/853 ता0 3-10 वीघा वाका मौजा एवं तहसील शिलाई में NH 707 रोड कटिग के कारण सलाइडिंग होने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर नैन सिह, पंच राम, जाती राम, मोही राम, भजिया राम कुन्दन सिह पत्रगण स्व0 देवी राम व अरविन्द पत्र जीत सिहर सिह निवासी धकौली तहसील शिलई जिला सिरमौर हि0प्र0 ने एक सामुहिक प्रार्थना पत्र वराये अराजी ख0न0 5280/1432/2 ता0 12-09 वीघा व ख0न0 5342/853 ता0 3-10 वीघा वाका मौजा एवं तहसील शिलाई में NH 707 रोड कटिग के कारण सलाइडिंग होने बारे प्रस्तुत किया है ।

मूल प्रार्थना पत्र की छाया प्रति आपको भेजकर लिखा जाता है कि आप अपने अधिनस्त क्षेत्रीय कर्मचारियो से मौका निरीक्षण करवाकर मौका की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजनी सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

पृष्ठांकन संख्याः- यथोपरी 414 दिनांक 08-04-2024

प्रतिलिपिः- श्री नैन सिह पुत्र देवी राम आदि निवासी ग्राम धकौली डाकघर एवं तहसील शिलाई को सूचनार्थ प्रेषित है है ।

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

Ole

5413

ा में ,

उप मंडल अधिकारी (ना.)

शिलाई ।

विषय : मोजा शिलाई में एवार्ड न 34 में NHAI के दुवारा अधिग्रहण किए गए मकानों के बारे में एतराज ।

महोदय ,

उपरोक्त विषय पर निवदेन इस प्रकार हैं कि NHAI के दुवारा हमारे मकानों को NH के लिए अधिग्रहण किया गया हैं उसमे हम भूमि / मकान मालिको की बिना सहमती के किया गया हैं इसमें ततीमा मोका हमारे सामने नही बनाया गया हैं NHAI के दुवारा मकान का आंकलन भी हमारे गेरहाजरी में तेयार किया गया हैं सभी मकानों के अधूरे आंकलन बनाए गए हैं जिसमे छज्जा व सेप्टिटेंक आदि शामिल नही किए गए हैं जबकि हमारे मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रहस्त हो रहे हैं इसके इलावा भूमि का मुवावजा भी उन मालिको को दिया गया हैं जिनसे हमने जमीने खरीदी थी जबकि विक्रेता ने हंमे NH 707सड़क किनारे की जमीन दी थी जंहा पर हमने मकान बनाए हैं व मकान बनाते समय किसी भी सरकारी /गेर सरकारी संस्था का किसी भी प्रकार का कोई एतराज नही था जिनके मकान सड़क किनारे पर नही हैं तथा जमीन भी सड़क किनारे पर नही हैं उन्हें सड़क के किनारे का गलत मुवावजा दिया गया हैं हमने हिस्से में भूमि खरीदी हैं तथा जिन मालिको के मकान NH से बहुत उपर नाया रोड से भी उपर बने हैं उन्हें भी हमारे हिस्से का मुवावजा दिया गया हैं जबकि हमारी भूमि / मकान का पूर्ण मुवावजा नही दिया जा रहा हैं क्युकी हमारे मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रहस्त हो जायगे तथा हमारी रजिस्ट्रिया भी NH 707 की हैं हमने उक्त भूमि खरीदते समय सरकार को NH 707 का राजस्व अदा किया हैं तथा हमने अपने हिस्से की भूमि पर NH के साथ अपने मकान बनाए हैं इसलिए हंमे हमारे हिस्से की पूर्ण भूमि का मुवावजा दिया जाए तथा हमारे पूर्ण मकान का आंकलन तेयार करवाकर हंमे पूर्ण मकान का मुवावजा दिया जाए ।

SDK 3/12/22

दिनाक 02/12/2022 आपकी महान कृपा करे ।

"धन्यवाद सहित "

भवदीय

1. Rattan Singh
2. Surat Singh
3. [signature]
4. बस्ती राम
5. इश्वर चन्द
6. श्यामा
7. [signature]
8. [signature]
9. [signature]
10. [signature]

रतन सिंह पुत्र जामथू निवासी बाम्बल ,सूरत सिंह पुत्र गुमान सिंह निवासी टिकर ,राजेन्दर सिंह पुत्र मान सिंह निवासी टिम्बी ,श्री बस्ती राम पुत्र सोभा राम निवासी पाब मानल ,श्यामा पत्नी खजान सिंह निवासी टिकर ,श्री जगत राम पुत्र सुख राम निवासी बाम्बल , इश्वर चंद कटोच पुत्र कमल चंद कटोच ,ओम प्रकाश पुत्र श्री केदार सिंह हाल निवास शिलाई ,श्री श्याम सिंह चोहान पुत्र जीत सिंह निवासी बाम्बल , श्री शुपा राम पुत्र मनिया राम निवासी टिम्बा ,तहसील शिलाई जिला सिरमौर

03/12/022

286 47

क्रमाकः-एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0))शिलाई/2023 (NH 707)- 420
कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,
जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश ।
दिनांकः शिलाई 09 अप्रैल, 2024

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मन्त्रालय इकाई पांवटा साहिब जिला सिरमौर हि0प्र0

विषयः- NH 707 सड़क बनने से लैंड स्लाइड होने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र इन्दर सिह निवासी ग्राम बान्दली तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि0प्र0 ने एक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया है कि मौजा बान्दली में NH 707 सड़क बनने के कारण प्रार्थी के लगभग 120 पेड़ सेब, केंचुआ पीट, कच्ची गौशाला, ग्रेडिंग स्टोर एवं गौशाला नष्ट हो चुकी है जिस बारे उसने इस कार्यालय मे दरख्वास्त दी थी तथा पटवारी हल्का बान्दली से रिपोर्ट तैयार NH 707 करवाई थी । इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में वर्णन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मन्त्रालय इकाई पांवटा साहिब व HES Infra Pvt. Ltd. कम्पनी जो NH 707 में कार्य कर रही है, उनके द्वारा नुकसान नही हुआ है बल्कि बरसात होने से ये नुकसान हुआ है । रिपोर्ट पटवारी हल्का बान्दली के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी के 120 पेड़ सेब, केंचुआ पीट, कच्ची गौशाला, ग्रेडिंग स्टोर एवं गौशाला NH 707 रोड़ की कटिंग के उपरान्त हुआ है ।

अतः मूल प्रार्थना पत्र मय संलग्न 9 पृष्ट आपको भेजकर लिखा जाता है कि आप HES Infra Pvt. Ltd. कम्पनी को निर्देशित करें कि मौका पर जाकर निरीक्षण करें तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाए । कृत कार्यवाही से इस कार्यालय व प्रार्थी को भी अवगत करवाने की कृपा करें ।

भवदीय,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

पृष्ठांकन संख्याः - यथोपरी 420 दिनांक 09-04-2024
प्रतिलिपिः- सेवा में,

1. उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर स्थित नाहन को सूचनार्थ सेवा में प्रेषित है ।
2. प्रबन्धक HES Infra Pvt. Ltd. शिलाई को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
3. श्री सुरेश कुमार पुत्र इन्दर सिह निवासी ग्राम बान्दली तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि0प्र0 ।

भवदीय,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

o/c

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई, /2024-45

जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिलाई 18 अप्रैल, 2024

सेवा में,

1. जिला खनन अधिकारी जिला सिरमौर, नाहन हि0प्र0 ।
2. सहायक अभियन्ता प्रदूशन नियन्त्रण बोर्ड पांवटा साहिब ।

विषयः- अश्याड़ी पंचायत मे NH 707 में कार्य कर रही कम्पनी द्वारा की जा रही डंपिग से हो रहे नुकसान बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र प्रधान ग्राम पंचायत अश्याड़ी ने इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसमे वर्णन किया गया है कि ग्रामवासी उबेता ने दिनांक 05/04/2024 को कार्यालय ग्राम पंचायत में लिखित में शिकायत प्रस्तुत की है कि NH 707 सड़क में कार्यकर रही कम्पनी दावारा बेतरतीव ढंग से मलवा नदी में डम्प किया जा रहा है जिसके कारण उनकी नदी के साथ कृष्ट जमीन को बहुत नुकसान हो रहा है तथा उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है ।

अतः मूल प्रार्थना पत्र आपको भेजकर निवेदन है कि आप प्रार्थना बारे छानबीन करने उपरान्त नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाए । कृत कार्यवाही से इस कार्यालय व प्रधान ग्राम पंचायत अश्याड़ी को भी अवगत करवाने की कृपा करें ।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

पृष्ठांकन संख्याः - यथोपरी 432 दिनांक 18-04-2024

प्रतिलिपिः- सेवा में,

1. उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर स्थित नाहन को सूचनार्थ सेवा में प्रेषित है ।
2. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मन्त्रालय इकाई पांवटा साहिब जिला सिरमौर हि0प्र0 ।
3. प्रबन्धक HES Infra Pvt. Ltd. शिलाई को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
4. प्रधान, ग्राम पंचायत अश्याड़ी को सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

आज दिनांक 06-04-2024 को 11.00 बजे प्रातः NH 707 शिलाई , नाया, न्ट व राजकीय महाविद्यालय शिलाई रोड़ में डंगे का निर्माण व NH 707 सड़क चौड़ीकरण र्य से सम्बन्धित स्थानीय लोगों की विभिन्न प्रकार की शिकायतों बारें समीक्षा बैठक का ायोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता उप मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई द्वारा की गई । बैठक में निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारियों ने भाग लिया ।

1. Sh. Manmohan Singh Jistu. (Tehsildar Shillai)
2. Sh. Surya Pratap Singh (MoRTH)
3. Sh.Gulab Singh (A.E.P.W.D)
4. Sh.Devender Kumar. (NT Settlement)
5. Sh.Jagat Ram. (Kanungo Settlement)
6. Sh. Chaman Lal. (Patwari Settelment)
7. Sh. Y. Gopi. (HES Infra Pvt. Ltd.)
8. Sh. Shriomani Lagoriya.(Consultancy)

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारी / कर्मचारियों का स्वागत किया उसके उपरान्त निम्न मदों एवं लोगों से प्राप्त शिकायतों पर चर्चा की गईः-

1. <u>नाया रोड़ पर डंगा लगाने बारेः-</u> हि0प्र0लो0नि0 विभाग की और से उपस्थित सहायक अभियन्ता श्री गुलाब सिह पुन्डीर ने अवगत करवाया कि नाया रोड़ में जहाँ पर डंगा क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पर नये सिरे से डंगा निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है तथा निविदा भी आवंटित करके समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है परन्तु डंगा का निर्माण कार्य तब तक शुरू नही किया जा सकता जब तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 पर कम्पनी द्वारा कटिंग व सड़क के पिछली तरफ दीवार व नालियों का निर्माण कार्य पूर्ण नही होता ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्धक HES Infra Pvt.Ltd.की तरफ से उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि उक्त कार्य शीघ्र पूरा किया जाए जिसके संदर्भ में बैठक मे उपस्थित कम्पनी के प्रतिनिधि ने बताया कि अभी तक परियोजना निदेशक, सड़क परिवहन मंत्रालय पांवटा साहब ने कम्पनी को कार्य शुरू करने हेतु नही सौंपा है अतः कार्य अभी शुरू नही किया जा सका है ।

अध्यक्ष महोदय ने परियोजना निदेशक, सड़क परिवहन मंत्रालय पांवटा साहब की ओर से बैठक में उपस्थित श्री सूर्य प्रताप सिह सहायक अभियन्ता को निर्देश दिया कि उक्त स्थान को शीघ्र कम्पनी को कार्य करने के लिए सौंपा जाए जिसके संदर्भ में सहायक अभियन्ता ने अवगत करवाया कि जमीन का मुआवजा उक्त स्थान के मालिकों को दे दिया गया है तथा उक्त कार्य को जल्दी शुरू करने का आश्वासन दिया गया । अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित बन्दोबस्त विभाग के नायब तहसीलदार को भी निर्देश दिए गए कि वह अपने

Sub Divisional Officer(C)
Shillai, Distt. Sirmaur (HP)

रिपोर्ट पटवारी

5417

श्रीमान जी

आपका आदेश क्रमांक 274 OK/TL/NH/2024 मिति 30-4-2024 तहसीलदार शिलाई की अनुपालना में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 में भारी वर्षा के कारण डंपिंग-पॉइंट से भारी मलबा आने के कारण कई व्यक्तियों की जमीन व फसल को नुकसान हुआ जिसकी विस्तृत सूचि निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	स्थान जहां NH-707 में भारी वर्षा से नुकसान हुआ	नाम पीड़ित व्यक्ति व पता	अनुमानित नुकसान	विवरण
1	बान्दली	श्री नेतर सिंह पुत्र श्री तेलू निवासी बान्दली पो. ओ. काण्डो भटनोल तह. शिलाई जिला सिरमौर H.P.	क्षति कृषि भूमि 0-4 बीघा क्षति फसल (मक्की) 0-11 बीघा	
2.	,,	श्री रतन सिंह पुत्र श्री तेलू निवासी बान्दली पो. ओ. काण्डो भटनोल तह. शिलाई जिला सिरमौर H.P.	क्षति फसल (टमाटर) 7-4 बीघा	
3.	,,	श्री ग्यार सिंह पुत्र तेलू निवासी बान्दली पो. ओ. काण्डो भटनोल तह. शिलाई जिला सिरमौर हि. प्र.	क्षति फसल (मक्की) 1-7 बीघा	
4.	,,	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी बान्दली पो. ओ. काण्डो भटनोल तह. शिलाई जिला सिरमौर H.P.	क्षति फसल (मक्की) 1-00 बीघा	
5	,,	श्री दलीप सिंह पुत्र जालम सिंह निवासी बान्दली पो. ओ. काण्डो भटनोल तह. शिलाई जिला सिरमौर H.P.	क्षति फसल (मक्की) 0-7 बीघा	
6.	,,	रमेश कुमार पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी बान्दली पो. ओ. काण्डो भटनोल तह. शिलाई जिला सिरमौर H.P.	क्षति फसल (मक्की) 3-01 बीघा	
7.	,,	प्रताप सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह निवासी बान्दली पो. ओ. काण्डो भटनोल तह. शिलाई जिला सिरमौर हि. प्र.	क्षति फसल (मक्की) 1-01 बीघा	
8	,,	रमेश पुत्र श्री सिंघा निवासी बान्दली पो. ओ. काण्डो भटनोल तह. शिलाई जिला सिरमौर हि. प्र.	क्षति फसल (मक्की) 1-10 बीघा	

P.

सेवामें !

22.4.24

श्री मान उप-मण्डलाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल थिलाई।

विषय :- N.H.707 रोड बनने से ग्राम गंगटोली में मेरे घर के आंगन में दरार आने बारे एवं मेरा लिंक रोड जो कि मेरे मकान से जुड़ा था, गिराये जाने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी निवासी ग्राम गंगटोली, तहसील शिलाई का रहने वाला हूं। तथा मेरे घर के नीचे N.H.707 पांवटा शिलाई कोर रोड की कटिंग होने की वजह से मेरे मकान के आंगन में दरार आगई है तथा मैंने जो लिंक रोड अपने घर तक बनाया था उसे भी गिरा दिया है उस भी बनाने का आश्वासन दिया था तथा मकान के निचे डिवाल लगाने के लिए भी कहा था लेकिन न तो कोई डिवाल लगाई है न ही मेरे घर का लिंक रोड बनाया है इस बारे मैंने N.H.707 रोड बनाने वाली कम्पनी को कई बार कहा गया हर बार ही टालमटोल करते रहते है जिससे मेरा रिहाईश मकान दरार आने की वजह से गिर सकता है।

अतः जनाब से निवेदन है कि N.H.707 रोड बनाने वाली कम्पनी से मेरे घर के निचे सुरक्षा डिवाल व मेरा लिंक रोड मेरे घर तक बनाने का हुक्म सादिर फरमाया जावे जनाब की महान कृपा होगी।

दिनांक :- 22/4/2024

प्रार्थी
उदेय राम पु० सिमाराम
R/o गंगटोली, तह० शिलाई

5419

विषय :- अवैध डंपिंग बारे ।

निवेदन है कि M.E.K. इन्फ्रा कम्पनी N.H. द्वारा गंगटोली खण्ड में ग्राम पंचायत बाग्बल वालों की शामलात भूमि में गाँव वालों की सहमति के बिना अवैध रूप से मिट्टी गिराई गई जिसकी निशान-देही की कापी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

कम्पनी मैनेजर जगन्न रेड्डी को मौखिक एवं लिखित (जिसकी कापी प्रार्थना पत्र के साथ है) रूप से दिसम्बर 2022 को S.D.M. शिलाई, पाँवटा साहिब एवं N.H. कम्पनी कार्यालय शिलाई को उप प्रधान बिशनसिंह द्वारा मामले को सुलझाने हेतु प्रयास किया गया किन्तु कम्पनी के अधिकारियों ने इस विषय में कोई बात करनी उचित नहीं समझी।

अतः समस्त ग्रामवासी बाग्बल वालों का कहना है कि कम्पनी को फिर से आठ दिन का समय देकर S.D.M. शिलाई एवं थाना प्रभारी शिलाई के माध्यम से अवगत करवाया जाए। ताकि उपरोक्त समयावधि के बाद किसी भी कार्रवाई के लिए कम्पनी स्वयं जिम्मेवार हो।

अतः आपसे निवेदन है कि आप उपरोक्त विषय में उचित कार्यवाही करें ताकि ग्रामवासियों को कोई भी अनुचित कदम न उठाना पड़े।

आपकी महान कृपा होगी।

नोट :- उपरोक्त समयावधि के अनुसार यदि कम्पनी एवं प्रशासन ने उचित कार्यवाही नहीं की और समस्त ग्राम वासियों को सड़क में आन्दोलन करना पड़ा तो इसके लिए N.H. कम्पनी जिम्मेवार होगी।

प्रार्थी,
समस्त पंचायतवासी बाग्बल
~~[struck out]~~ शिकायत कर्ता
B.Singh
बिशनसिंह S/o स्व० श्री जालमसिंह
ग्राम बाग्बल डा० आंजभोजी
उत्तरोक्त त० शिलाई जिला
सिरमौर (हि०प्र०)

1:- प्रतिलिपि थाना प्रभारी शिलाई
2:- S.D.M शिलाई

दिनांक - 23-12-2022

SDK. for n/a.
[signature]

प्रधान ग्राम पंचायत **5420**
शिरी म्यारी

विषय:- अवैध निर्माण व गलत तरीके से डम्पिंग हेतु।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है। कि ग्राम पंचायत शिरी म्यारी मे NH 707 मे Company HESG ~~HES द्वारा~~ गलत तरीके से मलवा डंपिंग किया जा रहा है जिससे हमारे पंचायत मे रास्ते व पानी के स्रोत सब बंद हो चुके हैं और खेती बाडी की बहुत सारी जमीन बर्बाद हो रही है। इस विषय मे हम सब पंचायत के लोग सरकारी दफतर व S.D.M महोदय जी से कई बार शिकायत की है। मगर कोई भी कार्यवाही अमल मे लाई गई है।

अतः आप से विनम्र प्रार्थना है कि इस विषय मे शीघ्र ही कार्यवाही करें। अन्यथा हम सभी प्रभावित लोग सड़कों मे उतर आयेंगे।

प्रार्थी

1. [signature]
2. रमेश चौहान [signature]
3. गुलाब सिंह [signature]
4. अमर सिंह [signature]
5. विशन सिंह [signature]
6. जगत सिंह [signature]
7. प्रदीप सिंह [signature]
8. नरेन्द्र सिंह [signature]
9. प्रदीप सिंह [signature]
10. सन्त राम - सन्तराम

12. बहादुर सिंह [signature]
13. राकेश कुमार [signature]
14. मोहर सिंह मोहरसिंह
15. विनोद [signature]
16. कुन्दन सिंह [signature]
17. दिनेश दिनेश
18. जालिम सिंह जालमसिंह फेडवाला
19. गोपाल
20. पंकज
21. भजन राम [signature]
22. कुलदीप [signature]
23. [illegible] सिंह

5421

प्रधान ग्राम पंचायत
शिरी - क्यारी

विषय :- अवैध रूप से मलवा गिराने बारे,

महोदय जी
सविनय निवेदन है कि मैं दीप चन्द S/o स्व. श्री रतनसिंह
ग्राम खनार का स्थाई निवासी हूं।
मेरा बाग तड़ाव के लिए सिंचाई कुहल है जिसका सोरस
क्यारी खाला से है, जहां की H.e.s Infra company द्वारा
अवैध रूप से मलवा फेंका जा रहा है जिसके कारण
मेरी सिंचाई कुहल जो भी बंद होती है तथा सिंचाई
पाईप लाईन भी क्षतिग्रस्त हो सकती है. ~~मेरा~~
मेरा आने-जाने का रास्ता ~~भी~~ भी बन्द है,
अतः मेरी प्रधान ग्राम पंचायत शिरी क्यारी से विनती
है कि इसे बन्द किया जाए

धन्यवादी

दीप चन्द

242
9/3/23

ग्राम पंचायत शिरी क्यारी
वि.ख. शिलाई, सि.

SDM

5422

सेवामें !-

श्रीमान उप-मण्डलाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल शिलाई !

विषय :- मेरी मलकियती भूमि में N.H-707 रोड कटिंग बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी निवासी ग्राम धंकौली तहसील शिलाई का रहने वाला हूँ। तथा मेरी मलकियती भूमि खसरा 6270/941 ता० 1-10 बिघा रकबा N.H. 707 रोड कटिंग में आ रहा है अब N.H. 707 रोड कटिंग कम्पनी वाले पिछली दिवाल लगाना चाहते हैं लेकिन प्रार्थी वहां पर मकान बनाना चाहता है इसलिए प्रार्थी उक्त खसरा नं० में पिछली दिवाल न लगाई जाए।

अतः जनाब से निवेदन है कि मेरे उक्त खसरा नम्बर में N.H. 707 रोड की पिछली दिवाल न लगाया जाए क्योंकि प्रार्थी जिसे मकान तैयार करना चाहता है। जनाब की महान कृपा होगी।

SDK for n/a
[signature]
14/2/23

उप-प्रधान ग्राम पंचायत
वि.ख. शिलाई, जिला सिरमौर
हस्ता० [signature]
दि० 14-2-2023

दिनांक :- 14/2/2023.

प्रार्थी: हीरासिंह
हीरा सिंह s/o राम सिंह
R/o धंकौली / शिलाई

5423

क्रमाकः- एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0)शिलाई/2022-23
कार्लायल उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
दिनांकः शिलाई 13 मार्च 2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
ईकाई पांवटा साहिब |

विषयः NH 707 टिक्कर क्रेशर से पाव मानल 0 पॉईट सड़क तक की जा रही डम्पिंग बारें गांव चामड़ी उत्तरी पुम्बाड़ी व पाटन वालों की आपत्ति बारें ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सदर्भ में इस कार्यालय में गांव चामड़ी, उत्तरी; पुम्बाड़ी व पाटन वालों का सामुहिक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है जिसमें उल्लेख किया गया है कि NH 707 टिक्कर क्रेशर से पाव मानल 0 पॉईट सड़क तक कम्पनी द्वारा जगह-2 की जा रही मलवा की डम्पिंग से उपरोक्त गांव वालों के कृष्ट व अकृष्ट भूमि को नुकसान बारें तथा को जान व माल का भी नुकसान बारें सम्भावना व्यक्त की गई है ।

अतः मूलरूप से दोनों प्रार्थना पत्र को आपके कार्यालय को भेजकर निवेदन है कि उक्त कम्पनी को निर्देशित करें कि मलवा को निरधारित डम्पिंग स्थान पर ही डम्प किया जाना सुनिश्चित किया जाएं और यदि मलवा उपरोक्त स्थानों पर गिराया गया है तो उसको साफ किया जावें ताकी मलवा वर्षा आदि के पानी से बह कर स्थानीय लोगों के कृष्ट व अकृष्ट भूमि को नुकसान होने से बचाव हो सके ।

संलग्न 2 अदद

भवदीय

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई,जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।
दिनांकः 13-03-2023

पृष्ठांकन संख्याः-यथोपरी

प्रतिलिपि,

1. सेवा में उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर, स्थित नाहन को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. परियोजना प्रबन्धक H.E.S. Infra. Pvt. Ltd. शिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

5424

सेवा में,
उपमंडलधिकारी शिलाई,
जिला सिरमौर हि० प्र०।

विषय:- N/H 707 का मलवा मेरी जमीन पर गिरने बारे।

श्रीमान जी,

निवेदन इस प्रकार से है कि में नीता राम पुत्र श्री रति राम गाँव नाया तहसील शिलाई का निवासी हूँ। श्रीमान जी N/H 707 कि कटींग का मलवा सारा मेरी जमीन चामडी पर आ रहा है जिस से मेरी घासन, खेते और पेड़ को बहुत नुकसान हो रहा है। अत श्रीमान जी या तो वाह से मलवा हटवा दिया जाये या फिर मेरी जितनी जमीन पर मलवा गिरा है उस का मुझे मुआवजा दिया। ऐसा करने पर में आपका बहुत आभारी रहूँगा।

धन्यवाद

नीताराम

प्रार्थी
नीता राम पुत्र श्री रति राम
गाँव नाया तहसील शिलाई
जिला सिरमौर हि०प्र०

SDK for n/a
3/2/23.

सेवा में,

5425

श्री मान उप-मण्डल अधिकारी महोदय जी,

उप-मण्डल शिलाई, जिला सिरमौर, हि०प्र० !

विषय :- N.H. 707 ग्राम उतरी के पास खाता/खतौनी न० 655/1377, खसरा न० 6286/47 33/3616, रकबा तादादी 56-16-00 बीघा, मौजा शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि०प्र० का मुआवजा दिलवाने वारे प्रार्थना पत्र !

महोदय जी,

प्रार्थी निम्न प्रकार से निवेदन करता है कि :-

1. यह कि, प्रार्थी खाता/खतौनी न० 655/1377, खसरा न० 6286/4733/3616, रकबा तादादी 56-16-00 बीघा, मौजा शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि०प्र० में अन्य मुश्तर मालिकों के साथ मौके का मालिक व काबिज अराजी है !
2. यह कि, प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर N.H. 707 कार्य चला है जबकि प्रार्थी को इसका अभी तक कोई भी मुआवजा न मिला है !
3. यह कि, प्रार्थी के उपरोक्त भूमि पर N.H. 707 ग्राम उतरी के पास खाता/खतौनी न० 655/1377, खसरा न० 6286/47 33/3616, रकबा तादादी 56-16-00 बीघा, मौजा शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि०प्र० में कार्य कर रही कम्पनी ने मुआवजा प्रार्थी के बदले श्री जालम सिंह पुत्र श्री कालिया, साकिन बाग़, पो०ओ० पाब-मानल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि०प्र० को दिया है !
4. यह कि, प्रार्थी के उपरोक्त भूमि पर जो N.H. 707 का जो कार्य हो रहा है वह भूमि मौके पर प्रार्थी के कब्जे में है !
5. यह कि, उपरोक्त भूमि का जो मुआवजा श्री जालम सिंह पुत्र श्री कालिया को दिया गया वह पूर्णतया गलत है क्यूंकि श्री जालम सिंह का उपरोक्त भूमि पर जो कब्जा है वह N.H. 707 से लगभग 700-800 मीटर की दुरी पर है जहाँ पर कि N.H. 707 का कार्य न हो रहा है !

SDK for n/a
14/2/23

(1) to be continued ....

5426

सेवामें:—

श्रीमान उप—मण्डलाधिकारी (ना०),
उप मझडल शिलाई।

बिपय— **N.H.707,R.D.N.70+260 to 70+480** के बीच बन रहे कलबर्ट बारें।

महोदय जी,

सबिनय निवेदन है कि हम ग्रा०प०कान्डो भटनोल व ग्रा०प०नावणा—भटवाड,तहसील शिलाई के रहने वाले है। हमारी पंचायत पंचायतो से **N.H. 707** जा रह है जो **M/S HES Infra Pvt Ltd.** द्वारा किया जा रहा है। तथा **N.H.707, R.D.70 + 260 to 70+480** के बीच कलबर्ट बन रहें हैजिससें हम दोनो पचायतों के जमीदारों की उपजाउ भूमि बरवाद हो रही है। यदि इसी जगह पर कलबटे बनी तो हमारी उपजाउ भूमि की नगदी फसलें,टमाटर,लहसन,गोबी,अदरक आदि बरबाद हो जाती है जिससे हम लोगों का करोडों का नुकसान हो जाता है। इसलिये उक्त कलबट को **100-200** मीटर आगे यांपिछे बनाई जावें। ताकि सडक के पानी का बहाव से उपजाउ भूमि वफसलो के नुकसान को बचाया जा सकें।

अत:जनाब से निवेदन हैकि **N.H.707,R.D.70 +260 to 70+480** के बीच बन रहा कलबट का स्थान थोडा आगे या पिछे किये जान का हुकम निमार्ण कम्पनी को किया जावे। ताकि हम लोगी की उपजाउ भूमि व नगदी फसलो का नुकसाल को बचाया जा सकें जनबा की महान कृपा होगी।

दिनाक:— 15/02/2023

समस्त सायलान :—
ग्रा०प०नावणा—भटवाड निवासी

प्रधान [signature]
ग्राम पंचायत नावना भट[illegible]
वि0 खण्ड शिलाई
जिला सिरमौर, हि0प्र0

5427

सेवा में,

श्री मान उप-मण्डल अधिकारी महोदय जी,

उम-मण्डल कार्यालय शिलाई, जिला सिरमौर, हि०प्र० !

विषय :- N.H. 707, नजदीक टिकर शिलाई से पौंटा साहिब सड़क पर कार्य कर रही कम्पनी द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग व अवैध कटिंग को रोकने बारे प्रार्थना पत्र !

महोदय जी,

प्रार्थी निम्न प्रकार से निवेदन करता है कि :-

1. यह कि, प्रार्थी खाता/खतौनी न० 114 मिन/265, खसरा न० 6035/5023/3038, रकबा तादादी 11-06-00 बिश्वा, मौजा शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि०प्र० में अन्य मुश्तर मालिकों के साथ मौके के अपने हिस्से के मालिक व काबिज है !
2. यह कि, दिनांक 16/03/2023 को N.H. 707, नजदीक टिकर शिलाई से पौंटा साहिब सड़क पर कार्य कर रही कम्पनी द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की गयी जिससे की प्रार्थी के जमीन को बहुत नुक्सान पहुंचाया गया और ब्लास्टिंग करने की वजह से और भी प्रार्थी की जमीन को नुक्सान हो सकता है !
3. यह कि, N.H. 707, नजदीक टिकर शिलाई से पौंटा साहिब सड़क पर कार्य कर रही कम्पनी द्वारा जहाँ पर दिनांक 16/03/2023 को ब्लास्टिंग की गयी उसके साथ प्रार्थी की खेती बाड़ी की जमीन भी जिस पर की अभी गेहूं की फसल खड़ी है और आने वाले समय में प्रार्थी की यह भूमि भी बर्बाद हो सकती है और कभी भी जमीन धंस सकती है !
4. यह कि, N.H. 707, नजदीक टिकर शिलाई से पौंटा साहिब सड़क पर कार्य कर रही कम्पनी द्वारा जो दिनांक 16/03/2023 को ब्लास्टिंग की गयी उसके होल जमीन के अंदर 35 फूट से भी अधिक गहरे किये गये जिससे कि आप-पास की कम से कम 50 मीटर पर जमीन धंस गयी है !

SDK.
25/3/23.

...नाम !

5428

श्रीमान उप-मण्डलाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल शिलाई।

विषय ! - मेरी मलकियती भूमि मलवा व पत्थर से दबने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी निवासी ग्राम पाव, तहसील शिलाई का रहने वाला हूँ। तथा मेरी मलकियती भूमि वाका मौजा शिलाई में पड़ती है। NH 707 का कार्य चालित होने की वजह से मलवा व पत्थर से मेरी उपजाऊ भूमि बिलकुल बर्बाद हो गई है। प्रार्थी इस भूमि में दबाव, क्योंकि खेती की फसल उगाता है। मलवा व पत्थर से दबने के कारण से प्रार्थी को काफी नुकसान हो गया है।

अतः जनाब से निवेदन है कि मेरी मलकियती भूमि जो शिलाई मौजा में है इसके बारे मुआवजा दिलाया जाए की कृपा करें, जनाब की महान कृपा होगी।

DK. for n/a
[signature]
22/3/23

दिनांक: 22-3-2023

प्रार्थी: -
रतनसिंह s/o बीजा राम
R/o पाव (पाव-कांवल)
तह॰ शिलाई।
M.N. 98059-08065.

5429

सेवा में :-

श्रीमान उप-मण्डलाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल शिलाई।

विषय :- N.H.707 रोड बान्दली में ब्लास्टींग करने से भू-स्खलन होने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी निवासी ग्राम बान्दली, तहसील शिलाई का रहने वाला है। हमारे गांव के ऊपर N.H.707 रोड जा रही है भूमि खसरा नं० 2340/510 वाका मौजा बान्दली तहसील शिलाई के शामलात भूमि है जो करीब से मुझ प्रार्थी के पास है। इसी खसरा नं० के दिनांक 26/1/202 को कम्पनी द्वारा ब्लास्टिंग होने से इस खसरा नम्बर में भू-स्खलन हो गया है जिससे मुझ प्रार्थी का काफी नुकसान हो गया है तथा इस खसरा नम्बर के दो रास्ते भी थे वे भी सब बन्द हो गए हैं एक रास्ता शंगिर गांव को जाता था जो बिल्कुल बन्द हो गया है जिससे हम लोगों को अपने गांव के लिए आना जाना भी बन्द हो गया है।

for n/a ... 30/1/23

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी भूमि ख०न० 2340/510 जो शामलात है मेरी कब्जे व काश्त में है का मुआवजा सरकार से दिलाने की कृपा करें। जनाब की महान कृपा होगी।

प्रार्थी: कंवर सिंह
कंवर सिंह पुत्र मेहर सिंह
R/o बान्दली, त० शिलाई

दिनांक : 30/1/2023.

5430

सेवा में,

उपमण्डल अधिकारी (ना०)
उपमण्डल भिलाई।

विषय: राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 का मलवा मेरी जमीन में फेंकने बारे।

महोदय,

विषय उपरोक्त के सन्दर्भ में निवेदन है कि HES Infra Limited द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 का निर्माण किया जा रहा है परन्तु उनका मलवा मेरी अनुमति के बगैर मेरी मलकियत भूमि खाता खतौनी न० 360/855 (~~300 किता/784~~) खसरा न० 6065/5074/3613 ~~बाका~~ रकबा तादादि 10-00 बिघा वाका मौजा भिलाई तहसील भिलाई में फैंका जा रहा है इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा कम्पनी के अधिकारियों से बार-2 आग्रह किया गया कि या तो मेरी जमीन में फेंके गए मलवे का मुझे मुआवजा प्रदान किया जाए या मेरी जमीन में मलवा न फेंका जाए। कम्पनी के अधिकारियों से बार-2 बात-चीत के उपरान्त भी उन्होंने मुझे झूठे आश्वासन दिए जा रहे है। उक्त कम्पनी ने अभी तक मुझे न तो कोई मुआवजा दिया गया है और न ही मेरी जमीन में मलवा फेंकना बन्द किया है बल्कि मुझे उल्टा डरा धमकाते है।

अतः आप से अनुरोध है कि उक्त कम्पनी को निर्देश दिए जाए कि मेरी जमीन में फेंके मलवे का मुझे नियमानुसार मुआवजा दिया जाए क्योंकि मेरी सारी जमीन मलवा डालकर ~~बरबाद~~ बरबाद कर दी गई है

भवदीय
मोलाराम शर्मा

SDK to forward the application to Project Director MORTH with direction to issue necessary instruction to HES Infra not to dump the muck in the land of applicant.
(sd.) 27/1/23.

सेवा में,

उपमण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश।

विषय—एच0ई0एस0 इन्फ्रा प्रा0 लि0 द्वारा डम्पिंग/मलवा गेरने के लिए की गई प्रार्थीगणों की भूमि का मुआवजा दिलाने बारे। प्रार्थना पत्र।

महोदय जी,

प्रार्थीनीगण निम्न निवेदन करता है।

1. यह कि प्रार्थीनी खसरा नं0 6266/4733/3616मि उप महाल उत्तरी पाटन, तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि0 प्र0 में मालिक व काबिज अराजी है, जिसमें प्रार्थी श्री राम स्वरुप 7—01 बीघा एवं प्रार्थी भवान सिंह 3—16 बीघा कुल रकबा 10—17 बीघा भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के निचली तरफ है।
2. यह कि उक्त कम्पनी को मलवा गेरने/डम्पिंग के लिए भूमि की आवश्यकता तथा प्रार्थीगणों ने अपनी उपरोक्त अराजी को एच0ई0एस0 इन्फ्रा प्रा0 लि0 के लिए दिनांक 05.07.2022 के हल्फिया ब्यान के तहत अनापत्ति दी थी कि उपरोक्त कम्पनी हमारी अराजी पर डम्पिंग करें तथा उसके एवज में कम्पनी प्रार्थीगणों को मु0 3,00,000 रुपये प्रत्येक प्रार्थी को देगीं।
3. यह कि उपरोक्त कम्पनी बिना किसी अडजन के प्रार्थीगणों की भूमि पर डम्पिंग का कार्य कर रहा है तथा डम्पिग का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है लेकिन अभी तक उक्त कम्पनी ने प्रार्थीगणों को आज तक मुआवजा राशी मु0 3 लाख रुपये प्रत्येक प्रार्थी को देना था नहीं दिया।
4. यह कि इस बारे प्रार्थीगणों ने कई बार उक्त कम्पनी के आला अधिकारियों से बात की परन्तु कम्पनी के आला अधिकारी हमेशा टाल मटोल करते रहते है। तथा मुआवजा राशी देने से आना कानी कर रहे है।
5. यह कि कम्पनी का मुआवजा न देने का ईरादा जाहिर होता तथा प्रार्थीगणों के साथ कम्पनी द्वारा धोखा किया जा रहा है, जिस कारण प्रार्थीगणों को माननीय महोदय जी से गुहार लगा रहे। क्योंकि रा0 राजमार्ग की किमती जमीन उक्त कम्पनी द्वारा प्रयोग कर उन्हे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।
6. यह कि उक्त कम्पनी द्वारा यदि प्रार्थीगणो को मुआवजा राशी न दी गई तो प्रार्थीगणों को मजबूरन हो कर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पडेगा।

अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि उक्त कम्पनी से प्रार्थीगणों का मुअवाजा एक हप्ते के आन्दर दिलवाया जायें अन्यथा कम्पनीं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने पर प्रार्थीगणों को मजबूर होना पडेगा। इसके लिए प्रार्थी आपके आभारी रहेगें।

तिथि 30/9/2022

प्रार्थीगण

भवान सिंह पुत्र श्री मोजी राम

NO-IO dt 17/3/2023

5432

रिपोर्ट कानूनगो

श्री मान जी,

शिकायत पत्र श्री नताराम पुत्र श्री आतिया निवासी ग्राम लोरॉह उप महाल उत्तरी पाटन तहसील शिलाई जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश जो कि उपमण्डलाधिकारी (ना०) शिलाई के पत्र क्रमांक एस डी के/उ म अ (ना) शिलाई/2022-1189 दिनांक 2/9/2022 को प्राप्त हुआ है बाद निवेदन इस प्रकार है। दिनांक 25/08/2022 की रात्रि को भारी वर्षा होने की वजह से NH-707 की कटिंग की वजह से प्रार्थी भूमि 50 मीटर तक खिसक गई। जिस वजह से भूमि में उगे चीड़ के लगभग 30 वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गये। जिस प्रार्थी को पेड़ों व जमीन का नुकसान हुआ है। उपरोक्त नुकसान के लिए NH-707 का कार्य कर रही कम्पनी जिम्मेदार है, इसलिए उपरोक्त नुकसान की भरपाई NH-707 में कार्य कर रही कम्पनी द्वारा की जानी है।

अतः रिपोर्ट मौका आगामी कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

Kgo settlem

Shillai-2

SDK

SDO(C)
17/3/2023

351
21/3/2023

5433

सेवा मे,

श्री मान उपमण्डल दण्ड अधिकारी
त० शिलाई जिला सिरमौर
हि०प्र०।

विषय : खसरा No 3627 मे NH707 कि कटींग के कारण 50 चीड़ के पेड़ गिरने बारा शिकायत पत्र।

श्री मानजी,

सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी लोराह गांव का रहन वाला व्यक्ति है तथा कानुन को मानने वाला व्यक्ति है।

महोदय जी दिनांक 25/08/2022 कि रात्री को भारी बारिश के कारण व NH707 मे कटींग होने के कारण मेरी जमीन तकरीबन 50 मीटर मेरी जमीन खिसक गई है। जिसके कारण उक्त जमीन पर 50-60 पेड़ चीड़ के गिर गये है व जमीन का काफी नुकसान हो गया है।

SDK
MA
5800 (C)
25/8/22

महोदय जी NH707 कि कटींग के कारण जो मेरी जमीन का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाने कि कृपा करो। महोदय पहले भी मेरी जमीन NH707 कटींग के कारण खेतों तक का नुकसान हो चुका है। ~~यदि~~ इसको रोकने के लिये दिवार न लगाई गई तो मेरी बची हुई जमीन और भी खिसक सकती है।

5434

क्रमॉकः- का. का ./ त. शि. /2023- 109
कार्यालय तहसीलदार शिलाई, जिला सिरमौर हि.प्र.।
दिनॉकः- शिलाई 20/02/2023

सेवा में,

उप-मण्डलाधिकारी(ना) महोदय,
शिलाई जिला सिरमौर हि.प्र.।

विषयः- मलबा व पत्थर फैंकने से निजि भूमि अथवा फलदार अथवा गैर-फलदार पेड़ों की क्षति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर महोदय जी के कार्यालय पत्र क्रमॉकः- 909 दिनॉकः- 27/07/2022 की अनुपालना में शिकायत पत्र की छानवीन मौका पटवारी गंगटोली से करवाई गई जिसकी छानवीन मौका रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है । रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से पाया गया कि शिकायत कर्ता श्री चेत राम के खसरा नं. 13 तादादी रकबा 0-10 विघा वाका मौजा गंगटोली में एन.एच. 707 के निर्माण से मलबा गिर गया है जिस कारण उक्त नं. खसरा में दो पेड़ अखरोट तथा एक सिंचाई टैंक मलबे से दब कर टूट गया है । अतः मूल रिपोर्ट पटवारी आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है ।

संलग्नः- रिपोर्ट पटवारी

भवदीय,

21/2/2023
तहसीलदार शिलाई,
जिला सिरमौर हि.प्र.।

SDK for n/a
14/3/23

126

5435

क्रमांक एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0)/शिलाई/2023– 357
कार्यालय उप मण्डलाधिकारी (ना0),शिलाई,
जिला सिरमौर, हि0प्र0।
दिनांक : शिलाई, 21 मार्च, 2023

सेवा मे

परियोजना निदेशक,
सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय,
इकाई, पांवटा साहिब।

विषयः– अशयाड़ी से शिरी क्यारी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 में टिक्कर के पास डपिंग से हुआ नुकसान बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में दिनांक 18/03/2023 को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 टिक्कर के समीप चरण 3 में कार्य कर रही HES Infra Pvt. Ltd. कम्पनी द्वारा मलवा गिराया गया जिस कारण स्थानीय लोगों की भूमि और पेड़ों को नुकसान हुआ है जिसका मौका निरीक्षण नायब तहसीलदार भू–व्यवस्था शिलाई द्वारा करवाया गया तथा जिन मालकानों का नुकसान हुआ है उनका विस्तृत ब्यौरा रिपोर्ट नायब तहसीलदार भू–व्यवस्था से प्राप्त हो चूकी है।

अतः मूल रिपोर्ट नायब तहसीलदार भू–व्यवस्था आपको भेजकर अनुरोध किया जाता है कि रिपोर्ट मे वर्णित मालकानों के नुकसान का मुआवजा उक्त कार्य कर रही कम्पनी HES Infra Pvt. Ltd. से दिलाया जाना सूनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उक्त कम्पनी को यह भी निर्देष जारी करें कि उक्त स्थान जहां मलवा गिराया गया है उस स्थान पर मलवे को रोकने हेतु सुरक्षा दिवार लगाना भी सुनिश्चित करें।

भवदीय

उपमण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई, सिरमौर, हि0प्र0।
दिनांकः 21/03/2023

पृष्ठांकन संख्या यथोपरी – 357
प्रतिलिपि :

1. उपायुक्त, जिला सिरमौर स्थित नाहन को सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।

उप मण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई, सिरमौर, हि0प्र0।

रिपोर्ट कार्यालय 5436

श्रीमान जी,

दिनांक 18/03/2023 को NH-707 मे कार्य कर रही कम्पनी द्वारा खसरा नम्बरान 5324/3058 रकबा तादादी 17-13 बिघा, खसरा नम्बर 5326/3036 के कुछ भाग रकबा तादादी 4-02 बिघा, खसरा नम्बर 5325/3036 के कुछ भाग रकबा तादादी 1-04 बिघा व खसरा नम्बर 1471 के कुछ भाग रकबा तादादी 0-7 बिस्वा कुल रकबा तादादी 25-06 बिघा पर अवैध रूप से मलवा डम्प किया गया जिससे उपरोक्त खसरा नम्बरान में जो वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गये तथा उपरोक्त खसरा नम्बरान पत्थर व मिट्टी से भर गये है. उपरोक्त नम्बरान की मालकान सूची व हिस्सा मय रकबा व जमाबंदी वर्ष 2009-10 ततीमाजात के साथ ~~साथ~~ मिसल सलंग्न की जा रही है. इसलिए प्रभावित मालकान को NH-707 मे कार्यरत कम्पनी द्वारा उचित मुआवजा दिया जाना वाजिब है.

अतः रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु सेवा मे प्रेषित है.

SDK for n/a
(signature)
20/3/23.

(signature)
Kgo
Shillai-I

156

5437

क्रमाकः- एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0)शिलाई/2023- 238
कार्लायल उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
दिनांकः शिलाई 13-03-2023

सेवा में,

अधिषासी अभियन्ता,
जल शक्ति, विभाग शिलाई हि0प्र0 ।

विषयः पानी की आपूर्ति बाधित रहने के बारे प्रार्थना पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सदर्भ में निवेदन है कि इस कार्यालय में ग्रामीण राजस्व अधिकारी वृत गंगटोली ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णन किया गया है कि पटवार कार्यालय एवं कानुनगों कार्यालय वृत गंगटोली में पीने के पानी की आपूर्ति अधिकतर समय बाधित रहती है क्योंकि जिस पाइप लाईन से इन कार्यालयों को पानी का कनेक्शन दिया गया है वह पाइप लाइन NH सड़क से नीचे है जबकि उक्त कार्यालय सड़क से उपर स्थित है, पानी को ऊपर चढ़ाने हेतु गेटवाल लगाया गया है जिसको उक्त भवनों में पानी चढ़ाने के लिए रोज बन्द व खोलना पड़ता है, जिसके कारण पानी की आपूर्ति बाधित रहती है। अतः आपको प्रार्थना पत्र की छायाप्रति भेज कर अनुरोध है कि उक्त कार्यालय को गांव की पाइप लाइन से अलग से कनक्शन देना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करवाएं ।

भवदीय,

कार्य॰ प्रति
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई,जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

पृष्ठांकन संख्याः- यथोपरी 238 दिनांक 13-03-2023

प्रतिलिपिः-

सेवा में उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर स्थित नाहन हि0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है ।

कार्य॰ प्रति
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई,जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

5438

150

क्रमाकः- एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0)शिलाई/ (NH 707)2023- 472
कार्लायल उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
दिनांकः शिलाई 24 अप्रैल, 2023

सेवा में,

नायब तहसीलदार,
भू-व्यवस्था विभाग शिलाई ।

विषयः पैट्रोल पम्प के पास मकान क्षति ग्रस्त व दरारें बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सदर्भ में एक प्रार्थना पत्र शान्ती तोमर पुत्र ग्राम व तहसील शिलाई ने इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया है कि उसका मकान पैट्रोल पम्प के पास बना हुआ है उसमें N.H. 707 सड़क में कार्य कर रही मशानों से पूरे मकान में दरारें आ गई है। अतः मूलरूप से प्रार्थना पत्र को आपको भेजकर निवेदन है कि मौका का निरीक्षण करने उपरान्त मौका की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजनी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई,जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

5439

सेवा में,

उप मंडल अधिकारी (सिविल),

उप मंडल शिलाई,जिला सिरमौर हि० प्र०

विषय - NH में जमीन का पैसा ना मिलने के बारे में।

श्रीमान जी,

निवेदन इस प्रकार से है कि में लीला देवी पत्नी श्री स्वर्गीय जगत राम गाँव कोटि उत्तरोंऊ तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि प्र कि निवासी हूँ श्रीमान जी मेरी जमीन अईशाडी NH 707 में कट चुकी है जिस का मुझे मुआवजा अभी तक नही मिला है जबकि दूसरो का जिन कि जमीन कट चुकी है उन को मुआवजा मिल चूका है। श्रीमान जी यह जमीन मेरे नाम और मेरे बच्चे कल्पना, नीरा और हरीशचंदर के नाम है। श्रीमान जी में घर में अकेली औरत हूँ मेरा साथ देने वाला कोई नही है अत आप से निवेदन है कि हमे हमारी जमीन का मुआवजा देने कि कृपा करे ताकि में अपने घर का गुजारा चला सकू में आपकी बहुत आभारी रहूंगी !

धन्यवाद

श्रीलादेवी

प्रार्थी

लीला देवी पत्नी श्री स्वर्गीय जगत राम

गाँव कोटि उत्तरोंऊ तहसील शिलाई

जिला सिरमौर हि० प्र०

Dated 17-1-23

SDK. ~~NA~~ for n/a.

18/4/23

सेवा में :-

श्रीमान उप-मण्डलाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल शिलाई।

विषय :- N.H.707 रोड बान्दली में ब्लास्टिंग करने से भू-स्खलन होने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी (कंवर सिंह) ग्राम बान्दली, तहसील शिलाई का रहने वाला है। हमारे गांव के ऊपर N.H.707 रोड जा रही है। भूमि खसरा नं० 2340/510 बाका मौजा बान्दली तहसील शिलाई के शामलात भूमि है जो करीब से मुझ प्रार्थी के पास है। इसी खसरा नं० के दिनांक 26/1/2023 को कम्पनी द्वारा ब्लास्टिंग होने से पूरा खसरा नम्बर में भू-स्खलन हो गया है जिससे मुझ प्रार्थी को काफी नुकसान हो गया है तथा इस खसरा नम्बर के दो रास्ते भी थे वे भी सब बन्द हो गए हैं। एक रास्ता शिरगिर गांव के लिए जाता था जो बिल्कुल बन्द हो चुका है जिससे हम लोगों को अपने गांव के लिए आना जाना भी बन्द हो गया है।

SDK for n/a
30/1/23

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी भूमि खसरा नं० 2340/510 जो शामलात है मेरी कब्जे व काश्त को मुआवजा सरकार से दिलवाने की कृपा करें। आप की महान कृपा होगी।

प्रार्थी: कंवर सिंह
पुत्र मेहर सिंह
गांव बान्दली, तहसील शिलाई

दिनांक: 30/1/2023

5441

क्रमांक एस0डी0के0 / उ0म0अ0(ना0) /2022– 483
कार्यालय उप मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,
जिला सिरमौर, हि0प्र0।
दिनांकः शिलाई, 24 अप्रेल, 2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
इकाई पांवटा साहिब।

विषयः– NH 707 में गंगटोली खाले से गांव कुमारली कि पाईप लाइन बन्द होने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अनुरोध है कि ग्राम वासी गाम कुमारली के लोगों द्वारा एक शिकायत पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसमें NH 707 में कार्य कर रही कम्पनी HES Infra Pvt. Ltd. के कार्य करने के कारण गंगटोली खाले से गांव कुमारली के लिए पीने के पानी की पाईप लाइन काफी समय अवरूध गई है जो अभी तक ठीक नहीं की गई है जिस कारण स्थानीय लोगों को पीने के पानी की समस्या हो रही है। लोगों को पीने के लिए पानी नैड़ा खडड से लाना पड़ रहा है, तथा उक्त लाईन को शीघ्र ठीक करने बारे आग्रह किया है।

अतः आपको लिखा जाता है कि आप उक्त कम्पनी HES Infra Pvt. Ltd निर्देशित करें कि इस पाईप लाइन को शीघ्र ठीक करें, ताकी लोगों को पीने के पानी की समस्या से नीजात मील सकें।

भवदीय

उप मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
दिनांकः 24 / 04 / 2023

पृष्ठांकन कमांक यथोपरी – 483
प्रतिलिपि सेवा में

अधिशाषी अभियन्ता, जल शक्ति विभाग शिलाई को इस आश्य के साथ प्रेषित है कि उक्त कुमारली गांव की पीने के पानी की पाईप लाइन को शीघ्र ठीक करवाना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करें।

उप मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बा मुला जा।

176

5442

आमदा आदेश क्रमांक वी०का०/री०/23 470 दिनांक 24.04.2023 की अनुपालना में दिनांक 24.04.2023 को मुकाम उलरी पावन अराजी खसरा नं० 6286/4733/3616 ता० 85-8 बीघा का मौका मुआइना हेतु मैं हमरा पटवारी भू-व्यवस्था मय भू-अभिलेख के बहाजरी वाशिन्दगान के मौका पर पहुँचा। मौका पर पाया गया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं० 707 अराजी ख० नं० 6286/4733/3616, ख०नं० 5075/36.. में से गुजर रहा है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 का निर्माण करने वाली कम्पनी ने केआर के समीप निर्मित रोड की दक्षिणी दिशा में खसरा नं० 6286/4733/3616 ता० 20-2 बीघा ख०नं० ~~[illegible]~~ 5075/3613 ता० 40-3 बीघा में से 7-10 बीघा तथा खसरा नं० 6064/5074/3613 ता० 26-3 बीघा में से 11-13 बीघा भूमि पर मलवा डम्प किया है। उपरोक्त नम्बरान खसरा में मालकानों की हिस्सानुसार मलबे से प्रभावित रकबा की सूचि तथा अक्स शजरा किश्तवार मूल मिसल के साथ संलग्न है। रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है। मुताबिक ब्यान भवान सिंह आदि के सड़क से नीचे मलबे से प्रभावित व्यक्ति भवान सिंह, बन्सीराम, रामस्वरूप तथा रतन सिंह के कब्जा के कारण हैं।

5443

By hand

श्रीमान S.D.M. साहब शिलाई
जिला सिरमौर हि०प्र०

Copy to S.H.O P.S. Shillai dhar

विषय - शिकायत पत्र विरुद्ध N.H. के कर्मचारी व N.H. के ठेकेदार की कार्यप्रणाली लेकर मीनस तक के N.H. के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत पत्र (सेन्ट) NH को शिकायत पत्र Action लेने बारे

महोदय

जयहिन्द,

SDK
SDO(C)
24/4/2023

193
25/04/2023

आपसे हमारा निवेदन है कि जो ये N.H. के कर्मचारी लोग जो सड़क को बना रहे हैं ये लोग सड़क से हमारी जमीन खेत खलिहानों में सीमेंट के खाली कट्टे फेंक रहे हैं कई बार व कई बोरे फेंक रहे हैं कई हुई बार व [illegible] जिससे की पर्यावरण के टकड़ फेंके गए हैं वो प्लास्टिक के टुकड़े आदि [illegible] पशु भी खा रहे हैं दूषित हो रहा है परन्तु घास तक भी खा रहे हैं और महोदय जी आपसे कोई कार्यवाही यह और है ये उठाते हैं तो इन कट्टों को लोटे ले तारा को [illegible]

PTO-

सेवा में :-

श्रीमान उप-मण्डलाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल शिलाई।

विषय :- N.H. 707 सड़क में कलवर्ट बनाये जाने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी निवासी ग्राम शिलाई/टिम्बी का रहने वाला हूँ। तथा आराजी ख०न० 790 तादादी 1-15 बिघा खसरा के मेरे पिता आत्मा सिंह 18 हिस्सेदार मालिक व काबिज काश्त हूँ। मेरे इस खसरा नम्बर के साथ पानी का बहाव के लिए N.H. 707 रोड पर कलवर्ट बनाया जा रहा है जिससे मेरा उक्त खसरा नम्बर वाला का नाला खेत है बिल्कुल बर्बाद हो जायेगा। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो जायेगा। इसलिए इस कलवर्ट को थोड़ा आगे पीछे ले जाकर पानी का बहाव उपजाऊ रहित नाला जा सकता है।

SDK forw/a
31/12/22

अतः आप से निवेदन है कि मेरी ज़मीन ख०न० 790 के पास जो कलवर्ट N.H. 707 रोड पर बनाया जा रहा है इस कलवर्ट को आगा/पीछे किये पानी का नुकसान रहित लगवाया जाये जनाब की महान कृपा होगी।

प्रार्थी : राजेन्द्र
राजेन्द्र सिंह पु० [illegible] सिंह
R/o शिलाई टिम्बी

सेवा में :-

श्री मान उप-मण्डलाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल शिलाई।

विषय :- N.H. 707 रोड ग्राम धंकोली में कटिंग करने के बाद मेरा मकान दबने बारे।

श्री मान जी,

सविनय निवेदन है कि N.H. 707 रोड कटिंग के ग्राम धंकोली में मेरा एक मंजिला मकान मलवा व पत्थर से दब गया। जब मकान दबा उस समय हमने [illegible] के तहत जनता को सूचित किया था और व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो व विडियो भी भेजे थे। जिसका कोई हल नहीं निकला। मेरा मकान क्षति ग्रस्त हो गया है दिवार [illegible] हो सेन्टर बीच आंगन में दरार आ रही है यानि के मकान पूरा ही ख[illegible]।

अतः जनाब से निवेदन है कि प्रार्थी को मकान के क्षति ग्रस्त होने का मुआवजा दिलाने की कृपा करें। जनाब की महान कृपा होगी।

ok for n/a
9/5/23

दिनांक :- 9 05 2023

प्रार्थी :-
मदन सिंह पुत्र भूप सिंह
R/o धंकोली तह: शिलाई
M.N. 82195-5621
98050-50859

5446

क्रमॉकः- का. का./ त. शि. /2023- 108
कार्यालय तहसीलदार शिलाई, जिला सिरमौर हि.प्र.।
दिनॉकः- शिलाई 20/02/2023

सेवा में,

उप-मण्डलाधिकारी(ना) महोदय,
शिलाई जिला सिरमौर हि.प्र.।

विषयः- सड़क निर्माण एन. एच. 707 के कारण भूमि ख.नं. 185 वाका मौजा अश्याड़ी में मलबा डालने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर महोदय जी के व्हाटसएप संदेश (मौखिक आदेश) की अनुपालना में खसरा नम्बर-185 तादादी 01-07 विघा वाका मौजा अश्याड़ी की छानवीन मौका पटवारी गंगटोली से करवाई गई जिसकी छानवीन मौका रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है । रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से पाया गया कि शिकायत कर्ता के उक्त भूमि खसरा नम्बर मे सड़क एन. एच. 707 निर्माण से कोई मलबा नहीं गिराया गया है । मलबा खसरा नम्बर 1466/156 मिन में गिराया गया है जो कि मलकियत भूमि शामलात देह हस्व रसद खेवट है जिसकी किस्म गैर मुमकिन खाला दर्ज बताई गई है।अतः मूल रिपोर्ट पटवारी आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है ।

संलग्नः- रिपोर्ट पटवारी ।

भवदीय,

21/2/2023
ना. तहसीलदार शिलाई,
जिला सिरमौर हि.प्र.।

184
21/02/2023.

SDR
SDO(C)

सन्तराम
S/O
रामनाथ
टिम्बी

5447

क्रमाकः- एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0)शिलाई/2022(विविध)-
कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
दिनांकः शिलाई 08 जून, 2023

सेवा में,

तहसीलदार,
तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि0प्र0।

विषयः- N.H द्वारा मेरे जमीन व बगीचे को क्षति होना व नुक्सान के बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री सन्त राम पुत्र रामनाथ ग्राम व डाकघर टिम्बी तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि0प्र0 ने एक प्रार्थना पत्र माननीय उद्योग, संसदीय कार्य एवं आयुष मन्त्री हिमाचल सरकार, ठ0 हर्षवर्धन चौहान को प्रस्तुत किया है तथा माननीय उद्योग मन्त्री के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें वर्णन किया गया है कि N.H द्वारा मेरे जमीन व बगीचे को खोदकर व मलवा डालकर नुकसान पहुँचाया गया है । अतः प्रार्थना पत्र की मूल प्रति आपको भेजकर लिखा जाता है कि मौका का निरीक्षण किया जाकर मौका की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजनी सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई,जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पृष्ठांकन संख्याः- यथोपरी
दिनांकः-08-06-2023

प्रतिलिपिः सेवा में,

जिला राजस्व अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन को उनके उपरोक्त वर्णित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है । ।

उप-मण्डलाधिकारी (ना0)
शिलाई,जिला सिरमौर, हि0प्र0।

Received by hand

सन्तराम

243

क्रमांक- स.भू.अ.प्र./उ.म.अ.(ना.)एस.डी.के./2022- 5448

कार्यालय सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.), पांवटा-साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र.।

दिनांकः पांवटा-साहिब (पिन-173025)- जून, 2023.

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
पांवटा-गुम्मा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707,
स्थित देवीनगर, पांवटा साहिब।

विषयः पांवटा-गुम्मा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 से प्रभावित होने वाले व्यक्ति श्री गीता राम पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी ग्राम अशयाड़ी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर का प्रार्थनापत्र।

महोदय,

जय-हिन्द!

पांवटा-गुम्मा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 के संबंध में, उपमंडलाधिकारी (ना.), उपमंडल शिलाई के कार्यालय पत्रांक एस.डी.के./उ.म.अ.(ना.) शिलाई/2022-413, दिनांक 06.04.23 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवगत कराया गया है कि श्री गीता राम पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी ग्राम अशयाड़ी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर हि.प्र. की अतिरिक्त भूमि नंबर खसरा 316/2/1, रकबा 01-19-07 बीघा, नंबर खसरा 1761/317/1, रकबा 0-00-15 बीघा तथा नंबर खसरा 1763/318/1, रकबा 01-02-15 बीघा, कुल किता 3 तादादी 02-02-17 बीघा को सड़क कटिंग से अधिग्रहण की गई भूमि के अतिरिक्त नुक्सान हुआ है।

यह प्रार्थनापत्र आगामी उचित कार्यवाही हेतु, मूल रूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उचित रूप से, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करवाने तथा कृत कार्यवाही से उक्त प्रार्थी को भी शीघ्र अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नः उपर्युक्त- मूल पत्र एवं अन्य- कुल = 12 पृष्ठ

भवदीय

सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.),
पांवटा-साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र.।

पृष्ठांकन संख्याः स.भू.अ.प्र./उ.म.अ.(ना.)एस.डी.के./2022-1385 दिनांकः 01 जून, 2023

प्रतिलिपिः

1. उपमंडलाधिकारी (ना.), उपमंडल शिलाई की सेवा में उनके उक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. उक्त प्रार्थी श्री गीता राम पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी ग्राम अशयाड़ी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि.प्र. को इस आशय सहित कि आगामी कार्यवाही हेतु आवश्यकतानुरूप, उक्त अधिकारी (परियोजना निदेशक) के कार्यालय से संपर्क करें।

सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.),
पांवटा-साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र.।

CALA-cum SDO (c) Paonta Sahib NH 72 B (New 707) Distt. Sirmaur H.P

SDK

SDO(C) 07/6/23

NO-677
12/6/2023

श्रीमान जी, पत्र सूचनार्थ है फाईल किया जाना उचित है

SDK

SDO(C)

5449

क्रमांकः- एस0डी0के0/उ0म0अ0(ना0)शि - 996
कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
दिनांकः शिलाई 15-06-2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
ईकाई पांवटा साहिब |

विषयः खाता/खतौनी न0 199मिन/394 खसरा न0 185 रकबा तादादी 17-07 वीघा मौजा अश्याड़ी तहसील शिलाई में HES Inra Company द्वारा अवैध डम्पिंग किए जाने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सदर्भ में निवेदन है कि इस कार्यालय में श्रीमती नारदा देवी पुत्री धाजू राम व पत्नी दलीप सिह निवासी मानल तहसील शिलाई ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया है कि एन0एच0 707 सड़क में कार्य कर रही HES Inra Company द्वारा उसकी मलकीयत भूमि खसरा न0 185 रकबा तादादी 17-07 वीघा मौजा अश्याड़ी में अवैध डम्पिंग की गई है जिसकी छानबीन तहसीलदार शिलाई के माध्यम से करवाई गई तथा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है ।

अतः मूल प्रार्थना पत्र मय छानबीन रिपोर्ट सहित कुल 3 पेज वराये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाने की कृपा करें।

भवदीय

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ।

पृष्ठांकन संख्याः-यथोपरी 996
दिनांकः 15-06-2023
प्रतिलिपि सेवा में,

उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर, स्थित नाहन को सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

298

सेवा में
उप मण्डलाधिकारी (नागरिक)
शिलाई
दिनांक:- 17-06-2023.

विषय:- सार्वजनिक रास्ते तथा पीने के पानी सहित मुख्य बारे प्रार्थना पत्र।

महोदय जी

सविनय निवेदन है कि ग्राम च्यौंताली में पीने के पानी तथा रास्ते 1 साल से बन्द पड़े है तथा पशु को भी बाहर निकालने मुश्किल हो रहे है पीने के पानी तथा पशु को पानी पिलाना भी मुश्किल हो रहा है पशु के लिए घास लाने की भी बड़ी कठिनाई हो रही है अतः आपसे निवेदन है कि मौके पर आकर छानबीन की जाए ताकि सच्चाई का पता चल सके। अन्त मे हम सभी ग्रामवासी च्यौंताली आपसे निवेदन करते है कि शीघ्र अति शीघ्र हमारी समस्या का समाधान किया जाए। आपकी महान कृपा होगी।

धन्यवाद

DK. 17/6/23

भवदीय
सभी ग्रामवासी
च्यौंताली
त. शिलाई

हस्ता०

1. सुनील शर्मा (उप प्रधान नाया) [signature]
2. अरुण शर्मा [signature]
3. 4. सुरेन्द्र सिंह शर्मा [signature: SSSharma]
5. रमेश शर्मा [signature]
6 गीता राम शर्मा [signature]
7. सुरेश शर्मा [signature]
8 बाबू राम शर्मा बाबूराम

5451

क्रमांक विविध / उ0म03 [illegible] शिलाई / 2023– 1107
कार्यालय उप मण्डलाधि[illegible])) शिलाई,
जिला सिरमौर, हि0प्र0।
दिनांकः शिलाई, 14 जुलाई, 2023

सेवा में,

तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

विषयः– दरख्वास्त बराए वर खिलाफ NH707 पर RUDNAV INFRA Pvt.Ltd. गंगटोली खडड के पास कार्य कर रही कम्पनी की लापरवाही की वजह से रिहायशी मकान का क्षतिग्रस्त हो जाना, कम्पनी से जायज मुआवजा दिलवाने बारे प्रार्थना पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री दलीप सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह निवासी ग्राम गंगटोली, डा0 व ग्राम पंचायत पाब मानल तहसील शिलाई से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि मेरा मकान गंगटोली खड्ड मेरा तीन मंजिला पक्का मकान है जो NH 707 पर RUDNAV INFRA Pvt.Ltd. द्वारा कार्य करवाने में लापरवाही बरतने के कारण मेरा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 10/07/2023 को भारी बारीश के कारण भू–संखलन होने से मेरा मकान को भारी क्षति हुई है मेरे मकान की क्षति लगभग 50,00,000/– रू0 की हुई है जिसमें NH 707 मे कार्य कर रही कम्पनी से दिलवाए जाने बारे आग्रह किया है।

अतः मूल शिकायत पत्र आपको भेजकर लिखा जाता है कि उक्त शिकायतकर्ता की मौका पर छानबीन कर रिपोर्ट शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय
उप मण्डलाधिकारी (ना0),
o/c शिलाई, ज़िला सिरमौर, हि0प्र0।
दिनांक : 14/07/2023

पृष्ठांकन संख्या यथोपरी–
प्रतिलिपि : श्री दलीप सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह निवासी ग्राम गंगटोली डा0 व ग्राम पंचायत पाब मानल, तहसील शिलाई को सूचनार्थ।

उप मण्डलाधिकारी (ना0),
o/c शिलाई, ज़िला सिरमौर, हि0प्र0।

रिपोर्ट कानूनगो

5452

श्री मान जी

शिकायत पत्र श्री चानन सिंह व सियाराम पुत्रगण श्री स्व० निवासि जाया बराये अवैध डम्पिंग जो कि उपमण्डलाधिकारी (ना०) शिलाई से नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त शिलाई के पत्र क्रमांक री/एस.एन.टी/शि/-69 के माध्यम से प्राप्त हुआ है बारा दिनांक 08/06/2023 को मौका का निरीक्षण किया गया। मुताबिक मौका के प्रार्थी के मलकियत खसरा नम्बर 6059/5064/3617 रकबा तादादी 16-0 बिघा मे NH-707 मे कार्यरत कम्पनी द्वारा अवैध डम्पिंग की जा रही है. डम्पिंग का सारा मलवा नाले से बहकर प्रार्थीगण के खसरा नम्बरान 766, 767, 768 770 व 771 रकबा तादादी 2-16 बिघा मे इकट्ठा हो गया है तथा प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरा नम्बरान मलवा से दब गये है. इसलिए प्रार्थीगण को कम्पनी द्वारा उचित मुआवजा दिया जाना वाजिब है।

अतः रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

Kgo
Shillai-I & II

5453

Exen TSV / SDM / BDO for immediate n/a as per rules. 6/2.

सेवा में

उपायुक्त एवम् जिला दण्डाधिकारी
जिला सिरमौर स्थित नाहन (हि०प्र०)।

विषय : राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के निर्माण कार्य के फलस्वरूप एच० ई० एस० इन्फ्रा० प्रा० लिमिटेड - पैकेज-3 ग्राम पंचायत अश्याड़ी, गावं भांगी की पेयजल आपूर्ति, सिंचाई कुहल, लिंक रोड, रास्ता, कृषि भूमि, फसल, बागवानी भूमि, गौशाला इत्यादि की हुई क्षति/नुकसान की शिकायत बारे।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय बारे आपसे निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के निर्माण कार्य पैकेज-3 -एच० ई० एस० इन्फ्रा० प्रा० लिमिटेड द्वारा सम्पादित किया जा रहा है तथा निर्माण करते समय व् तत्पश्चात हमारे गावं भांगी (अश्याड़ी), पोस्ट ऑफिस टिम्बी,तहसील शिलाई की पेयजल आपूर्ति, कृषि सिंचाई कुहल, लिंक रोड, रास्ता, कृषि भूमि, फसल, बागवानी भूमि, गौशाला इत्यादि का अत्यधिक क्षति/नुकसान किया गया। उक्त विषय की शिकायत हमारे द्वारा उप-मण्डलाधिकारी (न०) शिलाई को भी वर्ष 2022 से लेकर आज तक कई बार लिखित में दी गई थी (संलग्न) परन्तु हमारी किसी भी समस्या का अभी तक निदान नहीं हुआ। क्षति/नुकसान का विवरण निम्नलिखित है :-

1. उपरोक्त वर्णित कार्यदायी संस्था द्वारा हमारे गावं भांगी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक डंपिंग जोन बनाया गया है जिससे कि हमारे गावं के लिए जलशक्ति विभाग द्वारा बनाई गई **पेयजल आपूर्ति को पूरी तरह ध्वस्त** कर दिया गया है एवम **प्राकृतिक जल स्त्रोत** को भी बंद कर दिया गया है जिससे दैनिक प्रयोग व् पालतू पशु को पीने का पानी की काफी किल्लत बनी हुई है।

2. उपरोक्त वर्णित कार्यदायी संस्था द्वारा हमारे गावं भांगी के लिए जलशक्ति विभाग द्वारा बनाई गई अश्याडी खाले से भांगी गावं तक **कृषि सिचाई कुहल** भी पूरी तरह ध्वस्त कर दी है जिससे हमारी कुहल लगती **कृषि भूमि भी बंजर** बन गई और नकदी फसलें इत्यादि नही उगा पा रहें जिसका सीधा असर ग्रामीणों की आर्थिकी पर पड़ रहा है।

5454

3. उपरोक्त वर्णित कार्यदायी संस्था द्वारा हमारे गावं भांगी के लिए मुख्य सड़क (NH 707) से **जो संपर्क मार्ग/सड़क जो ग्रामीणों ने खुद अपने पैसे से बनाया था व् पैदल रास्ता था उसको भी गेबियन/ डंगे लगा कर पूर्णतया बंद कर दिया है** जिस से मुख्य मार्ग से गावं तक आने जाने में बहुत समस्या आ रही है| कार्यदायी संस्था द्वारा **जो गेबियन /डंगे लगाये गये थे वो भी ढह गये है और गेबियन ढहने से हमारी गौशाला भी पूर्णतया दब गई है और कृषि योग्य जमीन को भी बहुत नुकसान हुआ है|**

4. उपरोक्त वर्णित कार्यदायी संस्था पहाड़ कटान का **काफी मलवा द्वारा हमारी निजी भूमि में बिना अनुमति के डाल दिया है और हमारी निजी व् मलकियत जमीन को डंपिंग जॉन बना दिया (khasra No. 185 Mausa Ashyadi) जिसकी शिकायत उपमंडलाधिकारी शिलाई को की गई थी परन्तु हमारी शिकायत पर कोई भी उचित कार्यवाही नहीं हुई है**

अतः महोदय जी से निवेदन है कि हमारी उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण कार्य से उपरोक्त वर्णित हुई क्षति की जाँच करवाकर समस्याओं का समयबद्ध न्यायोचित समाधान करने का आदेश NHAI Paonta Sahib व् SDM Shillai /Paonta Sahib को दें |

धन्यवाद

Ugrankar (signature)	Kuldeep (signature)	Pardeep (signature)
कान्ता चौहान	कुलदीप	प्रदीप
सुपुत्री स्व० श्री बस्ती राम ,	पुत्र स्व० श्री रतन सिंह,	पुत्र स्व० श्री रतन सिंह,
गावं अश्याड़ी (भांगी), टिम्बी	गावं अश्याड़ी (भांगी), टिम्बी	गावं अश्याड़ी (भांगी),टिम्बी
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर	तहसील शिलाई, जिला सिरमौर	तहसील शिलाई, जिला सिरमौर
मो० न० -82197-58329		

5455

सेवा में,

उप–मण्डलाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर।

विषय– राष्टीय राजमार्ग 707 के निर्माण के फलस्वरूप हुई क्षति/नुकसान की शिकायत बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय बारे निवेदन है कि मेरे द्वारा आपके कार्यालय को लिखित शिकायत पत्र दिनांक 01–06–2022 व 05–09--2022 को दिया गया था तथोपरान्त महोदय जी आपके द्वारा पैकेज–3 को जो दिशा–निर्देश दिये गये थे उस पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नही की गई है महोदय जी कम्पनी की लापरवाई का आलम यह है कि हमारी शिकायत में वर्णित नुकसान के अतिरिक्त गत माह में सभी गैबियन दिवारें गिर गई हैं व सड़क मलवें से खेतो में फसलों की हानि व कई प्राकृतिक वनस्पति सहित कई बिघा जमीन बर्वाद हो गई है। बार–बार सड़क निर्माण कार्य पैकेज –3 को मोबाईल व मौखिक रूप से उपरोक्त नुकसान व समस्या के बारें अवगत करवाये जाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नही की जा रही है।

महोदय जी हमारी समस्याओ के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करे व हमारी समस्याओ पर त्वरित कार्यवाही कर शिघ्र–अति–शिघ्र समाधान करने की कृपा करे जो निम्न प्रकार से हैः–

1– कार्यदायी संस्था द्वारा मेरे घर तक पहुचने का मार्ग गैबियन वाल लगाकर पिछले 8 माह से पूर्णतया बन्द कर दिया गया है जो पूर्व मे पैदल एवं वाहन से आने जाने योग्य था उसको दुरूस्त करने की कृपा करें।

2.– गैबियन वॉल गिरने व सड़क के मलबे से हमारी कृषि योग्य भूमि में जो मबला व पत्थर गये है उसे हमारी मालिकाना भूमि से हटवाया जाए।

3– हमारे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक डम्पिंग जोन बनाया गया है जिसमें घर के पानी की लाइन ध्वस्त हो गई है एवं प्राकृतिक जल स्त्रोत को बन्द हो गया है। जिस कारण दैनिक प्रयोग हेतु पानी की समस्या के साथ ही पालतू पशुओ को पीने का पानी एव कृषि में सिचाई हेतु पानी की आपूर्ति पूर्णता बाधित हो चुकी है। जिसको तत्काल ठीक करवाने हेतु कार्यदायी संस्था को आदेश देने की कृपा करें।

Received
07/X/022

5456

4– यह कि हमारी सिंचित भूमि को जोड़ने वाली सिंचाई कुहल, जो अश्याड़ी खाले से हमारे खेतो तक निर्मित थी वह एन0 एच0 निर्माण से पूर्णतया नष्ट हो चुकि है उसको बहाल किया जाऐ ताकि हमारी नकदी फसलों को नुकसान न हो।

4– कार्यदायी संस्था द्वारा मेरी निजी भूमि में बिना अनुगति के पहाड़ कटान का मलवा डाल दिया गया है जिससे पशुओ को घास इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो गई है साथ ही कार्यदायी संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारी मेरी निजी भूमि को भी सरकारी जमीन बता कर डम्पिगं जोन बनाने की कोशिश कर रहे है। जो पूर्णतया अनुचित है। कृपया मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

प्रार्थी,

Pradeep

प्रदीप पुत्र स्व0
श्री रतन सिंह गांव,
अश्याडी(भांगी), टिम्बी
त0 शिलाई, जिला सिरमौर

Kuldeep

कुलदीप पुत्र स्व0
श्री रतन सिंह गांव
अश्याडी(भांगी), टिम्बी
त0 शिलाई, जिला सिरमौर

Kanta

कान्ता चौहान, सपुत्री स्वं0
श्री बस्ती राम, गांव
अश्याडी(भांगी), टिम्बी
त0 शिलाई, जिला सिरमौर
मो0 न0 82197–58329

5457

सेवा में
श्रीमान उपमण्डलाधिकारी महोदय जी
उप-मण्डल शिलाई, जिला सिरमौर हि०प्र०

विषय: खाता/खतौनी नं० 199 min/394 खसरा नं० [illegible]
रकबा तादादी 01-07-00 bigha मौजा [illegible]/
त० शिलाई में H.E.S. Infra Company द्वारा
अवैध डम्पिंग किये जाने बारे।

महोदय जी
प्रार्थी द्वारा पहले भी 20/2/2023 को शिकायत
की गई थी कि हमारी उपरोक्त भूमि में
NH Company द्वारा अवैध डम्पिंग की जा रही
है और इसे रोका जाये। लेकिन बहुत ही
दुःखद व हैरानी की बात है कि अभी तक
भी अवैध डम्पिंग नहीं रोकी गई और
हमारी जमीन में पशुचारा वाला घास, हल [illegible]
की जमीन व काम के [illegible] [illegible]
कर दिये जिसकी उचित जांच व कार्यवाही की
जाये कि कम्पनी द्वारा किसकी Permission
से हमारी जमीन में dumping की गई

प्रार्थी

5458

क्रमांक : एस०डी०एम०/उ०म०अ० (ना०)/शिलाई/2022— 697
कार्यालय उप मण्डलाधिकारी (ना०) शिलाई जिला सिरमौर हि०प्र०
दिनांक शिलाई 07 जून 2022

सेवा में,

भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं
उप मण्डलाधिकारी (ना०) पांवटा साहिब
जिला सिरमौर हि०प्र०।

विषय : राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH 707 सड़क कटिंग से होने वाले नुकसान बारे शिकायत पत्रों का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि इस कार्यालय में राष्ट्रीय उच्च मार्ग (NH 707) सड़क की कटिंग से लोगों का नुकसान होने से सम्बन्धित शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।—

(1) श्री लेखराम पुत्र सीआराम निवासी ग्राम फेडूवाला ग्राम पंचायत शिरीक्यारी तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि०प्र०
(2) जालम सिंह पुत्र मान सिंह ग्राम अंगलाटी ग्राम पं० शिरीक्यारी तह० शिलाई जिला सिरमौर हि०प्र०
3 जगपाल सिंह पुत्र ग्राम गंगेटोली पो० डा० टिम्बी तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि०प्र०।
4. प्रधान ग्राम पंचायत शिरीक्यारी विकास खण्ड शिलाई
5 रतिराम पुत्र सुपाराम निवासी ग्राम नाया तहसील शिलाई
6. श्रीमती रमाना पत्नी खजाना सिंह ग्राम टिम्बर P.O. तहसील शिलाई
7 कुलदीप सिंह पुत्र स्व० रतन सिंह, प्रदीप सिंह पुत्र रतन सिंह एवं कान्ता पत्नी स्व० रतन सिंह निवासी गण ग्राम अरझाड़ डा० टिम्बी तहसील शिलाई

अतः उपरोक्त सभी कुल 7 शिकायत पत्र आपके कार्यालय को मूलरूप से आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

भवदीय
उप मण्डलाधिकारी (ना०)
शिलाई जिला सिरमौर
हि०प्र०

संलग्न : मूल 7 शिकायत पत्र
कुल 13 पेज

o/c

5459

क्रमांक : एस०डी०एम०/उ०म० अ० (ना०)/शिलाई/2022- 677
कार्यालय उप मण्डलाधिकारी (ना०) शिलाई जिला सिरमौर हि०प्र०
दिनांक शिलाई 07 जून 2022

सेवा में

भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं
उप मण्डलाधिकारी (ना०) पांवटा साहिब
जिला सिरमौर हि०प्र०।

विषय : राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH 707 सड़क कटिंग से होने वाले नुकसान और शिकायत पत्रों का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि इस कार्यालय में राष्ट्रीय उच्च मार्ग (NH 707) सड़क की कटिंग से लोगों का नुकसान होने से सम्बन्धित शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है -

(1) श्री [illegible] पुत्र सीताराम निवासी ग्राम फेडूवाला ग्राम पंचायत शिरीक्यारी तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि०प्र०
(2) जगतसिंह पुत्र मानसिंह ग्राम अंगताडी ग्रा० पं० शिरी क्यारी तह० शिलाई जिला सिरमौर हि०प्र०
3 जयपाल सिंह पुत्र ______ ग्राम गंगटोली पो० औ० टिम्बी तहसील शिलाई जिला सिरमौर हि०प्र०।
4. प्रधान ग्राम पंचायत शिरी क्यारी विकासखण्ड शिलाई
5 रतिराम पुत्र [illegible] निवासी ग्राम नाया तहसील शिलाई
6. श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] सिंह ग्राम [illegible] तहसील शिलाई
7 कुलदीप सिंह पुत्र स्व० रतनसिंह, प्रदीप सिंह पुत्र रतनसिंह एवं कान्ता [illegible] निवासी ग्राम [illegible] डा० टिम्बी तहसील शिलाई

अतः उपरोक्त सभी कुल 7 शिकायत पत्र आपके कार्यालय को मूलरूप से आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित हैं।

संलग्न : मूल 7 शिकायत पत्र
कुल 13 पेज

भवदीय,
उप मण्डलाधिकारी (ना०)
शिलाई जिला सिरमौर
हि०प्र०।

o/c

5460

क्रमांक [illegible]/2021- 1898
कार्यालय सक्षम भू अर्जन प्राधिकारी एवं उप मंडल अधिकारी (ना०) पांवटा साहिब जिला सिरमौर (हि०प्र०)
दिनांक : 25 जून, 2022

परियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
पांवटा साहिब, देवीनगर।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग एन०एच० 707 सड़क कटिंग से होने वाले नुकसान बारे शिकायत पत्रों के प्रेषण बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में राष्ट्रीय उच्च मार्ग एन०एच० 707 सड़क कटिंग कार्य से सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तियों के शिकायत पत्र [illegible]धिकारी (ना०) शिलाई, जिला सिरमौर के कार्यालय पत्र क्रमांक एस०डी०एम०/[illegible]/शिलाई/2022-697 दिनांक [illegible] 2022 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:

	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का विवरण
	श्री जयपाल सिंह निवासी ग्राम [illegible], तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	शिकायतकर्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि एन०एच० की कटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उसके उपरान्त डंगा लगाने का कार्य शुरू कर रहे हैं, जिस बारे शिकायतकर्ता को आपत्ति है कि भविष्य में एन०एच० सड़क के साथ अपनी भूमि पर मकान बनाना चाहते हैं, जिस कारण उन्होंने आग्रह किया है कि डंगा निर्माण कार्य आरम्भ न किया जाये।
	प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] क्यारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	प्रधान द्वारा अवगत करवाया गया है कि [illegible] 73/900 से क्यारी एवं [illegible] गांव तक पंचायत के द्वारा बनाया गया पक्का रास्ता बुरी तरह से खराब हो चुका है, तथा [illegible] गांव में [illegible] उत्पन्न हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों के रिहायशी मकान में [illegible] है, [illegible] बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, [illegible] 100 मी० टूट चुकी है तथा 300 [illegible] और टूटने की आशंका है एवं [illegible] के खेतों में [illegible] मलबा [illegible] है। [illegible] पंचायत द्वारा ग्रामीणों की असुविधा को मध्यनजर यह [illegible] प्रस्तुत किया है।
	श्री कुलदीप सिंह पुत्र [illegible] सिंह आदि निवासी ग्राम [illegible], तहसील शिलाई, जिला सिरमौर	शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत करवाया गया है कि सड़क निर्माण कार्य करने वाली [illegible] [illegible] पूर्णतया [illegible] एवं कृषि योग्य भूमि [illegible] कार्यदायी संस्था द्वारा [illegible] रास्ता [illegible] भूमि पर बन्द [illegible] है, [illegible] निर्माण हमने अपने पैसों से करवाया था, तथा [illegible] पर [illegible] जा रहा है, जिससे [illegible] के पानी की [illegible] ध्वस्त हो चुकी है, तथा प्राकृतिक स्रोत बन्द हो चुके हैं, जिस कारण ग्रामीणों एवं पशुओं को पानी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। कार्यदायी संस्था द्वारा [illegible] बनाई गई [illegible] सड़क के साथ लगती है को पूर्णतया क्षतिग्रस्त किया गया है, जिससे [illegible] भूमि बंजर हो गई है।
	श्री [illegible] देव प्रताप सिंह आदि	शिकायतकर्ता द्वारा अवगत करवाया गया है कि शिलाई बाजार में जहां उक्त सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है में वह खसरा नम्बर 4926/1875 है जहां पर उन्होंने रिहायशी मकान 20-25 वर्ष [illegible] हुए हैं जिसकी निशानदेही उन्होंने 2-3 बार करवाई है तथा जिससे उक्त भूमि पर उनका [illegible] पाया गया था, लेकिन उक्त सड़क के चौड़ीकरण हेतु अर्जित की गई भी भूमि को [illegible] मुआवजा दिया जा रहा है, जिसमें 10 [illegible] को छोड़ा गया है जिस बारे [illegible] शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करवाई है।

अतः उपरोक्त सभी शिकायतपत्र आपको मूलरूप से प्रेषित कर निवेदन किया जाता है कि आप शिकायतकर्ता की समस्याओं पर [illegible] का नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएं तथा कृत कार्यवाही से शिकायतकर्ता एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत [illegible]

भवदीय

O/C

सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उप मण्डलाधिकारी (ना०),
पांवटा साहिब जिला सिरमौर (हि०प्र०)

पृ०संख्या 1898 दिनांक, 25 जून, 2022
प्रतिलिपि उपरोक्त वर्णित शिकायतकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायतपत्र के संदर्भ में बतौर सूचनार्थ प्रेषित है।

सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उप मण्डलाधिकारी (ना०),
पांवटा साहिब जिला सिरमौर (हि०प्र०)

O/C

5461

क्रमांक [illegible]/2021 1898

कार्यालय सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उप-मंडल अधिकारी (ना०) पांवटा साहिब जिला सिरमौर (हि०प्र०)

दिनांक 25 जून 2022

परियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
पांवटा साहिब [illegible]।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग एन०एच० 707 सड़क कटिंग से होने वाले नुकसान बारे शिकायत पत्रों के प्रेषण बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में राष्ट्रीय उच्च मार्ग एन०एच० 707 सड़क कटिंग कार्य से सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तियों के शिकायत पत्र [illegible] (ना०) शिलाई, जिला सिरमौर के कार्यालय पत्र क्रमांक एस०डी०एम०/[illegible]/शिलाई/2022-697 दिनांक [illegible]22 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:

शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का विवरण
श्री [illegible] सिंह निवासी ग्राम [illegible], तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	शिकायतकर्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि एन०एच० की कटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उसके उपरांत दिवार लगाने का कार्य शुरू कर रहे हैं, जिस बारे शिकायतकर्ता को आपत्ति है कि भविष्य में एन०एच० सड़क के साथ अपनी भूमि पर मकान बनाना चाहते हैं, जिस कारण उन्होंने आग्रह किया है कि दिवार निर्माण कार्य आरम्भ न किया जाये।
प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] क्यारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	प्रधान द्वारा अवगत करवाया गया है कि कटिंग स्थल [illegible] से क्यारी एवं [illegible] गांव तक पंचायत के द्वारा बनाया गया पक्का रास्ता बुरी तरह से खराब हो चुका है, तथा निरन्तर ब्लास्टिंग से गांव में कंपन (Vibration) उत्पन्न हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों के रिहायशी मकान में दरारें आ चुकी है, सिंचाई लाईन बुरी तरह से खराब हो चुकी है, [illegible] 100 मी० टूट चुकी है तथा 300 मीटर और टूटने की आशंका है एवं ग्राम [illegible] के खेतों में फेंका गया मलबा [illegible] है। जिस बारे पंचायत द्वारा ग्रामीणों की असुविधा को मध्यनजर पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है।
श्री कुलदीप सिंह पुत्र [illegible] सिंह आदि निवासी ग्राम [illegible], तहसील शिलाई, जिला सिरमौर	शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत करवाया गया है कि सड़क निर्माण कार्य करने वाली संस्था द्वारा कार्य मनमाने तरीके से किया जा रहा है तथा उनके पुश्तैनी मकान एवं कृषि योग्य भूमि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा हमारा पैदल रास्ता [illegible] पूर्णतया बन्द कर दिया है, जिसका निर्माण हमने अपने पैसों से करवाया था, तथा कटिंग स्थल पर मलबा फेंका जा रहा है, जिससे [illegible] के पानी की लाईन खराब हो चुकी है तथा प्राकृतिक स्रोत बन्द हो चुके हैं, जिस कारण ग्रामीणों एवं पशुओं को पानी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। कार्यदायी संस्था द्वारा जल शक्ति विभाग द्वारा बनाई गई [illegible] सड़क के साथ लगती है को पूर्णतया क्षतिग्रस्त किया गया है, जिससे कृषि भूमि बंजर हो गई है।
श्री [illegible] एवं प्रताप सिंह आदि	शिकायतकर्ता द्वारा अवगत करवाया गया है कि शिलाई बाजार में जहां उक्त सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है वो वह खसरा नम्बर 4926/1875 है जहां पर उन्होंने रिहायशी मकान 20-25 वर्ष बनाए हुए हैं जिसकी निशानदेही उन्होंने 2-3 बार करवाई है तथा जिससे उक्त भूमि पर उनका मालकाना हक बताया गया था, लेकिन उक्त सड़क के चौड़ीकरण हेतु अर्जित की गई भी भूमि के भू-स्वामी को मुआवजा दिया जा रहा है, जिसमें 10 मकानों का [illegible] गया है जिस बारे दोहरा मापदण्ड अपनाने हेतु शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करवाई है।

अतः उपरोक्त सभी शिकायतपत्र आपको मूलरूप से प्रेषित कर निवेदन किया जाता है कि आप शिकायतकर्ताओं की समस्याओं पर [illegible] कर नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएं तथा कृत कार्यवाही से शिकायतकर्ता एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत [illegible]

भवदीय

सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उप-मंडलाधिकारी (ना०)
पांवटा साहिब जिला सिरमौर (हि० प्र०)

पृष्ठांकन: 1898 दिनांक O/C [illegible] 25 जून 2022

प्रतिलिपि उपरोक्त वर्णित शिकायतकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायतपत्र के संदर्भ में बतौर सूचनार्थ प्रेषित है।

सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी एवं उप-मंडलाधिकारी (ना०)
पांवटा साहिब जिला सिरमौर (हि० प्र०)

5462

क्रमांक एस0डी0के0 / उ0म0अ0(ना0) / शिलाई / 2022– 1303
कार्यालय उप मण्डलाधिकारी (ना0),शिलाई,
जिला सिरमौर, हि0प्र0।
दिनांक : शिलाई, 20 सितम्बर, 2022

सेवा में

परियोजना निदेशक,
सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय,
इकाई, पांवटा साहिब।

विषयः– अशयाड़ी से शिरी क्यारी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 से सम्बन्धित।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05/09/2022 राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 का अशयाड़ी के समीप भांगी नामक स्थान पर चरण 3 में कार्य कर रही HES Infra Pvt. Ltd. कम्पनी द्वारा वायर केट लगाए गए हैं उस जगह का निरीक्षण किया गया तथा पाया गया की भारी बारिश के कारण मलवा और पत्थर बह कर स्थानीय लोगों के खेतों में चले गए है जिसके कारण उनकी फसलो जैसे मक्की, टमाटर व अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस जगह पर जो वायर केट लगाए गए है वह भी गिरने वाले है जिसके कारण वायर केट का मलवा और पत्थर स्थानीय लोगों की जमीनो को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भांगी नामक स्थान पर लोगों के चार पांच घर है जिनके लिए मुख्य मार्ग NH 707 से एक रोड बना था जो इन लोगों को मुख्य मार्ग NH 707 से जोड़ता था, वह भी खत्म हो चूका है, तथा स्थानीय वासियों की कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु कुहल अशयाड़ी खाले से बनी हुई थी जो NH के कार्य से बंद हो चुकि है। इसके अतिरिक्त लोगों को अशयाड़ी खाले से जल शक्ति विभाग द्वारा पीने के पानी की पाईप लाईन बनी थी जो NH के डपिंग वाले स्थान पर मलवे में दबकर बंद हो चुकी है तथा इसी डपिंग वाली जगह से उबेता गांव को पैदल रास्ता बना हुआ था जो डपिंग के मलवे से बंद हो चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस कम्पनी को निर्देश जारी करे कि उक्त स्थान पर वायर केट को गिरने से जो मलवा पत्थर लोगों की जमीन में गिरे हैं उनको वहां से

Sub Divisional Officer(C),
Shillai, Distt. Sirmaur (HP)

5463

साफ किया जाएं। स्थानीय लोगों की पीने की पाईप लाईन और सिंचाई हेतु कुहल को ठीक किया जाए, तथा ग्रामवासीयों को NH 707 से जोडने वाले लिंक रोड को भी बनाया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उबेता गांव को जाने वाला रास्ता भी आवाजाही हेतु खोला जाएं। उक्त सभी कार्यो को शीघ्र पूरा किया जाए और इसके अतिरिक्त NH 707 पर बाम्बल लिंक रोड के नीचे NH में लगाई गई दिवार भी गिर गई है जिससे वहां पर श्री चैत राम लम्बरदार मौजा गंगटोली की जमीन पर बना सिंचाई टैंक पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, अखरोट का पेड भी मलवे में दब गया है, और उसकी जमीन मलवा और पत्थर गिरने से बरबाद हो चूकी है। गंगटोली खाले से वहां के निवासियों के लिए पिने के पानी की पाईप लाईन भी वहा पर की जा रही डपिंग की वजह से नष्ट हो चुकी है। उक्त कम्पनी को यह भी निर्देश दिऐ जाएं कि उपरोक्त श्री चैत राम का सिंचाई टैंक को दोबारा बनाया जाए, जमीन से पत्थर और मलवा हटाया जाए और पानी की पाईप लाईन को ठीक किया जाए। ताकि स्थानीय लोगों की समस्याओं का निदान हो सके।

उक्त सभी स्थानों पर हुए नुकसान बारे विस्तृत रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का गंगटोली से प्राप्त हो चूकी है जिसकी मूल प्रतिलिपि बराये अगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

उपमण्डलाधिकारी (ना०)
Sub Divisional O... (Civil)
Shillai, Distt. Sirmour (H.P.)
शिलाई, जिला सिरमौर, हि०प्र०
दिनांक: 20/09/2022

पृष्टांकन संख्या यथोपरी - 1303
प्रतिलिपि :

1. उपायुक्त, जिला सिरमौर स्थित नाहन को सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।
2. परियोजना प्रबन्धक, HES Infra Pvt. Ltd. को इस आदेश सहित प्रेषित है कि उक्त वर्णित सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाएं।

उपमण्डलाधिकारी (ना०)
Sub Divisional Officer (Civil)
शिलाई, Distt. Sirmour (HP)

5464

रिपोर्ट

श्रीमान जी,

श्रीमती गंगी देवी ने शिकायत पत्र द्वारा सूचना दी मौजा अम्बाड़ी के खसरा न० 185 में NH Package III की कम्पनी द्वारा अवैध Dumping की गई है। शिकायत मिलने पर निरीक्षण कागजात माल व मौका किया गया। तथा पाया कि खसरा न० 185 में NH707 निर्माण का मलबा गिरा हुआ है। चूंकि लट्ठा नक्शा त्रिपति में है व कलमाप मालूम है। इसलिए पैमाईश नहीं की जा सकती है। सरसरी तौर पर यह कहा जा सकता है लगभग समस्त खसरा नं० 185 रकबा 01-07 में मलबा फैल गया है। अत: रिपोर्ट सेवा में पेश है।

(signature) 11/04/2025

प्रधान राजस्व अधिकारी
PC गंगटोली, तह0 शिलाई
जिला सिरमौर हि0 प्र0

सेवा में,

5465

श्रीमान उप-मण्डलाधिकारी महोदय

कफोटा

विषयः नाले में मलवा फेंकने के सन्दर्भ में आवेदन पत्र |

महोदय,

सविनय निवेदन है की हम ग्रामवासी शमाह के निवासी है | हम सब आपका ध्यान अपने गांव की समस्या की और आकर्षित करना चाहते है | NH707 पर तिलोरधार और दुगाना के मध्य नालीगाड के पास दूसरे फेस में काम कर रही कम्पनी द्वारा नाले में मलवा फेंका जा रहा है | महोदय इस नाले में मलवा डालने से पूरे गांव पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है और साथ ही हमारा पानी का स्त्रोत भी ख़त्म हो रहा है | कम्पनी को कही बार नाले में मलवा न डालने को कहा गया परन्तु इस पर कोई अम्ल नहीं हुवा |

अतः श्रीमान जी आपसे विनती है आप इस पर हम सभी ग्रामवासियों की समस्या का समाधान अतिशीघ्र करने की कृपा करें हम ग्रामवासियों आभारी रहेंगे |

धन्यवाद !

प्रार्थी

समस्त शमाह ग्रामवासी

5466

सेवा में,

प्रबन्धक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

पांवटा [illegible] हि०प्र०

विषय:— NHAI द्वारा NH 707 नजदीक [illegible] रोड कटिंग में [illegible] से [illegible] व जमीन नीचे धसने व मुआवजा देने हेतु

श्रीमान जी, निवेदन इस प्रकार से है कि NHAI द्वारा पिछले कुछ समय से NH 707 पांवटा से गुम्मा रोड की कटिंग की जा रही है जिसका एक हिस्सा की कटिंग NH 707 पर बसे गांव [illegible] का है NHAI द्वारा [illegible] की कटिंग से साथ लगते हमारा मकान जो कि श्री [illegible] गांव [illegible] [illegible] तह० [illegible] जिला सिरमौर हि० प्र० का है पिछले कुछ समय से लगातार हो रही बारिश व NH द्वारा की गई [illegible] स्थान पर कटिंग से मेरा मकान [illegible] तक पहुंच चुका है इसलिए किसी जान-माल की हानि होने का पूर्ण सम्भावना है। मकान का आगे का हिस्सा जो कि कुछ दिन पहले गिर कर NH 707 पर आ चुका है और मकान पर आना-जाना पूर्ण रूप से बन्द हो चुका है जिसकी प्रति लिपि मैं साथ में संलग्न कर रहा हूँ।

महोदय जी

इस मकान को [illegible] मकान हमारे पुश्तैनी धरोहर है जान-माल को भारी [illegible] से बन्द हो चुकी है तथा भारी [illegible] हो चुका है

Received:-

[signature]

21.07.2025

5467

सेवा में :-

श्री मान उप-मण्डलाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल शिलाई।

विषय :- NH 707 रोड बान्दली में ब्लास्टिंग बन्द हो व मु-
आवजा हेतु बारे।

श्री मान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी (कुंवर सिंह) गांव बान्दली, तहसील शिलाई का स्थाई निवासी हूँ। हमारे गांव के ऊपर NH 707 रोड जा रही है जो खसरा नम्बर 2340/570 मौजा बान्दली तहसील शिलाई के अन्तर्गत आती है। जो कि प्रार्थी के पास ही है उक्त सड़क बनाने के दिनांक 26/1/2023 को कम्पनी द्वारा ब्लास्टिंग होने से मेरा खसरा नम्बर के मुताबिक हो गया है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो गया है तथा इस खसरा नम्बर के पानी की ... भी बन्द हो गया है तथा रास्ता भी बिल्कुल बन्द हो गया है जिससे हम लोगों को आने जाने की दिक्कत, आना जाना भी बन्द हो गया है।

SDK for n/r [signature] 30/1/23

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि ख० न० 2340/570 जो आनलाइन है मेरी जमीन के कारण हुए नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। जिसके लिए आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक : 30/1/2023.

प्रार्थी: कुंवर सिंह
पुत्र श्री मोहर सिंह
गांव बान्दली, त० शिलाई
MN 98168-31639

5468

सेवा मे,

उपमण्डलाधिकारी

उप-मण्डल शिलाई,

विषय:- NH-707 की कटिंग बारे प्रार्थना पत्र।

महोदय जी,

विनम्र निवेदन है कि रा० प्रा० पाठशाला टिक्कर के नजदीक से NH 707 की रोड कटिंग का कार्य चला हुआ है कम्पनी आज तक कटिंग कार्य मैनुअली कर रही थी। ~~परन्तु~~ पिछले दो दिनों से वह मैनुवली कटिंग न करके ब्लास्टिंग के लिए Hole कर रही है जिससे पाठशाला भवन को खतरा हो सकता है। क्योंकि पाठशाला भवन और कटिंग के बीच लगभग 15-20 मीटर की दूरी है। यदि पाठशाला भवन को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो इसके लिए कम्पनी पूरी तरह से जिम्मेवार होगी।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप कम्पनी को उचित कार्यवाही करते हुए दिशा-निर्देश जारी करके हमें कृतार्थ करें।

सधन्यवाद

Incharge
G.P.S. Tikker
Edu. Block Shillai